देसहरियाणा
ISSN : 2454-6874
साहित्यिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मंच
अंक 48-49 सितंबर-दिसबंर, 2023

संपादक	**सुभाष सैनी**
सम्पादन सहयोग	जयपाल, कृष्ण कुमार, अरुण कैहरबा, राजकुमार जांगड़ा, विकास साल्याण
सलाहकार	प्रो. टी.आर. कुंडू, सुरेन्द्रपाल सिंह, परमानंद शास्त्री, अशोक भाटिया, सत्यवीर नाहड़िया
प्रबंधन	कीर्ति सैनी, योगेश शर्मा, गुरदीप भोंसले
प्रकाशक	सत्यशोधक फाउंडेशन, 912 सैक्टर-13, कुरुक्षेत्र हरियाणा
संपर्क	सुभाष चंद्र - 94164-82156
Email	haryanades@gmail.com
Website	desharyana.in
सहयोग राशि	एक प्रति ₹ 50 मात्र
व्यक्तिगत:	₹300 (वार्षिक) संस्था:₹500 (वार्षिक) (पंजीकृत डाक खर्च समेत)
आजीवन:	₹5000 संरक्षक: ₹10000

ऑनलाईन
भुगतान के लिए

Account Name	Satyashodhak Foundation
Bank Name	Indian Bank, Sector -13
Account No.	50490177180
IFSC:	IDIB000K849

प्रकाशित रचनाओं में प्रस्तुत विचार एवं दृष्टिकोण से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं।
सम्पादक एवं संचालन अव्यवसायिक एवं अवैतनिक, समस्त कानूनी विवादों का न्याय-क्षेत्र कुरुक्षेत्र न्यायालय होगा।
स्वामी-प्रकाशक-मुद्रक सत्यशोधक फाउंडेशन, 912, सैक्टर-13, कुरुक्षेत्र हरियाणा

इबकी बार

- **दो हरफी बात** 3
- **हिंद के सितारे**

  अमरनाथ - हिमांशु कुमार आधुनिक गाँधीवादी 5
- **कहानी**

  अमित मनोज - तेंदुआ 12

  डॉ. रतन लाल 'ख़ाकसार' - जुनून की इंतहा 18
- **लघुकथा**

  राजेन्द्र रंजन चतुर्वेदी - राजा आलोचना नहीं सुनना चाहता 24

  हरभगवान चावला - बीसवाँ कोड़ा 56
- **स्मृति**

  भूपिंदर चौधरी - डी आर चौधरी हरियाणा के समाज को समझने वाले बुद्धिजीवी 25
- **विरासत**

  गुलजार - कुसुमाग्रज 30
- **कविताएं** - श्री कृष्ण यादव, नरेश कुमार, शलेंदर सिंह 33
- **पड़ताल**

  स्वदेश कुमार सिन्हा - फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट: नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा 38
- **लेख**

  जीवन सिंह - ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा और मेवात 42
- **आंखिन देखी**

  अशोक गर्ग - मेवात के अनुभव 44
- **आधी दुनिया**

  अभिव्यक्ति - परिवार और महिला की आजादी 48
- **पठनीय पुस्तक**

  अरुण कुमार कैहरबा - मलबे के नीचे 55
- **गतिविधियां**

  गुंजन कैहरबा - सामाजिक कार्यकर्ता स्वतंत्रता समता बंधुता के मूल्य अपनाएं 57

  अरुण कुमार कैहरबा - शिक्षा, संगठन व संघर्ष डॉ. अंबेडकर के विचारों का सार 60

  अरुण कुमार कैहरबा - जन संवाद की कसौटी - संवैधानिक मूल्य 62

कवर पेज

हरियाणा, जिला सिरसा, गांव रानिया के ग्रामिणों की एक ऐतिहासिक पेंटिंग, जिसको **1816** में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कलाकार गुलाम अली खान ने बनाया था। व्यक्ति बाएं से दाएं इस प्रकार हैं –

1. सूजा (मुजा), भट्टी राजपूत, पिता का नाम निजाबत खान, रानिया का लंबरदार।, **2.** हाजिर खान, सूजा का भाई।, **3.** अमिबान मोखर (खोखर) कबीले की महिला, ख्वाजा सोहा की भाभी, **4.** ख्वाजू अली (भट्टी) लंबरदार जिसको सोहा मोजूमी कहा जाता था, रानिया का रहने वाला।, **5.** मेवा, राजपूत, मुंडेवाल, निजाबत का रिश्तेदार। स्रोत - https://commons.wikimedia.org

सांप्रदायिक आग में

सब कुछ स्वाहा नहीं हो गया

जो नदियाँ राह में रोकी थी तुम ने,
वो सहरा की तरफ हम ने बहा दी,
हमें तुम बाँट कर तो मुत्मइन थे,
मगर हम ने वो दीवारें गिरा दीं। - बलबीर सिंह राठी

मेवात सांस्कृतिक क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं में आता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक तौर पर लड़ाके स्वभाव, वीरता, सादगी और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। मेवात शिक्षा-साक्षरता व विकास अन्य संकेतकों पर पिछड़ेपन के लिए भी चर्चा का विषय रहा है। इस क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों व हिंसा का इतिहास नहीं है। हिंदुओं और मुसलमानों की मिश्रित आबादी के परस्पर प्रेम, सद्भाव, एकता व साझी संस्कृति के लिए तो मेवात जाना जाता रहा है, लेकिन 31 जुलाई 2023 को हरियाणा राज्य के नूंह जिला में सांप्रदायिक शक्तियों के हिंसक ताडंव के कारण मेवात चर्चा का विषय बना हुआ है।

इतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का भड़कना आकस्मिक तो नहीं हो सकता। पिछले कुछ समय से मेवात में गौरक्षा के नाम पर दर्जनों समूह सक्रिय हैं, जो गौरक्षा के नाम पर तस्करी व अपराध में शामिल हैं। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार गौरक्षा के नाम पर अपराधी गिरोहों की उपस्थिति व सक्रियता का जिक्र किया था। लेकिन उसे समाप्त करने के लिए प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि ऐसी खबरें जरूर आती रही कि पुलिस की देखरेख व मिलीभगत से ही यह सब हो रहा है। सन् 2015 में हरियाणा सरकार ने गौवंश-संवर्धन कानून बनाया। गौहत्या के खिलाफ इस कानून में दस साल तक की सजा का प्रावधान है। इसे लागू करने के लिए *काऊ टास्क फोर्स* बनाई। इसमें कथित गौरक्षकों को शामिल किया गया और इस तरह से गौरक्षा के नाम पर वसूली के लिए पूरा नेटवर्क तैयार हो गया।

गौरक्षा के नाम पर अमानवीय कृत्य किये गए। मेवात के किसान अपने खेतों के लिए बैल या दूध के लिए गाय भी इधर से उधर लाने-ले जाने में डरते हैं। गौमांस के नाम पर किसी

को भी अपमानित करने की घटनाएं हुई हैं। गौरक्षा के नाम पर अपराधियों का आतंक है। जनवरी में 21वर्षीय वारिस नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। फरवरी 2023 में नासिर और जुनैद नामक दो युवकों को कथित गौरक्षकों ने जलाकर मार दिया। नासिर और जुनैद का मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना था, लेकिन पुलिस-प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक कारवाई नहीं हुई थी।

हिंदुओं की ब्रजमंडल यात्रा में मुसलमानों द्वारा बाधा को हिंसा का कारण बताया जा रहा है, लेकिन वर्षों से यह यात्रा निकल रही है। इसके यात्रियों की सुविधाओं मसलन खाना, पानी, आराम आदि के लिए मुसलमानों द्वारा अनेक स्थानों पर अनेक उपक्रम किये जाते रहे हैं कभी कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई।

असल में पिछले कुछ समय से राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक यात्राओं को सांप्रदायिक यात्राओं में तब्दील करने की कोशिशें की गई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाकर तथा सांप्रदायिक गतिविधियां करके माहौल को विषाक्त करने के अभियान चलाए जा रहे हैं। भड़कीली भाषा का प्रयोग, हथियारों को साथ लेकर चलना तथा दूर-दूर से लोगों को यात्रा के लिए एकत्रित करने में इन यात्राओं में आपराधिक तत्वों की मौजूदगी साफ तौर पर नजर आती है।

मेवात क्षेत्र आधुनिक शहर गुरुग्राम से सटा हुआ है, हिंसा की लपटें वहां भी पहुंची। मस्जिदों को आग लगा देना, नमाज करते हुए लोगों को रोकना यह किसी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं होगा। सांप्रदायिक सोहार्द्र मनुष्य के जीने लायक परिवेश की अनिवार्य शर्त है।

साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों का काम है लोगों की आत्मा को जगाना। वे हमेशा ही मानवता पर कुठाराघात करने वाली घटनाओं व प्रवृतियों पर सृजनात्मक प्रतिक्रिया करके समाज को संवेदित करते रहे हैं। साहित्य-कला जगत ने हमेशा ही कट्टरता-संकीर्णता को चुनौती दी है। उसके षड़यंत्रों, बदनीयत और कुकर्मों को हमेशा ही उद्घाटित किया है। वर्तमान में भी वे इससे जूझ रहे हैं। साहित्यकारों, कलाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवियों के दल, पत्रकार, सोशल मिडिया इन्फ्लूएंसर पीड़ित पक्ष का दर्द बांटने तथा जीवन में भरोसा पैदा करने गए हैं।

हरियाणा के किसान सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ और पीड़ित पक्ष के साथ डट कर खड़े हो गये। किसानों ने कहा कि मेवाती पहले किसान हैं, मुसलमान बाद में। जमात की पहचान के एहसास से एक उम्मीद जगती है कि सांप्रदायिक आग में सब कुछ स्वाहा नहीं हो गया। किसानों की सामूहिक बुद्धिमत्ता आगे का रास्ता दिखा रही है।

उम्मीद है ये अंक आप को पसंद आएगा।

- सुभाष सैनी

हिमांशु कुमार

आधुनिक गाँधीवादी

"मैं जुर्माना नहीं दूंगा"

अमरनाथ

सर्वोच्च न्यायालय ने 14 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिमांशु कुमार के ऊपर पाँच लाख रुपए जुर्माना का आदेश दिया। हिमांशु कुमार और बारह अन्य लोगों द्वारा 2009 के एक मामले में दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, इस याचिका में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले (तत्कालीन दंतेवाड़ा) के गाँवों में आदिवासियों की गैर-न्यायिक हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की माँग की गई थी। इसकी सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर और जे बी पारदीवाला की पीठ ने की थी।

दरअसल, हिमांशु कुमार को जिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाया है उसे गोम्पाड़ नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इसमें सितंबर और अक्टूबर 2009 में हुई हिंसा की दो प्रमुख घटनाएं शामिल हैं, जो गोम्पाड और गच्चनपल्ली के गाँवों में हुई थीं। इन घटनाओं में कम से कम 17 आदिवासी मारे गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी नरसंहार से संबंधित याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार को सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य/सीबीआई द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश रचने की धारा और पुलिस और सुरक्षा बलों पर झूठा आरोप लगाने के लिए आगे की कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें अन्य धाराएं भी शामिल की जा सकती हैं।

इस फ़ैसले के बाद हिमांशु कुमार ने बीबीसी से कहा,

"यह आदिवासियों के न्याय मांगने के अधिकार पर बड़ा हमला है. अब आदिवासी न्याय मांगने में डरेगा. इससे तो यही साबित होता है कि पहले से ही अन्याय से जूझ रहा आदिवासी अगर अदालत में आएगा तो उसे सजा दी जाएगी. इसके साथ-साथ जो भी आदिवासियों की मदद की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के भीतर डर पैदा करेगा."

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद हिमांशु कुमार ने अपना बयान भी जारी किया है:

"चंपारण में गाँधी जी से जज ने कहा तुम्हें सौ रुपये के जुर्माने पर छोड़ा जाता है गाँधीजी ने कहा मैं जुर्माना नहीं दूँगा."

"कोर्ट ने मुझसे कहा पाँच लाख जुर्माना दो तुम्हारा जुर्म यह है तुमने आदिवासियों के लिए इंसाफ माँगा।"

मेरा जवाब है, "मैं जुर्माना नहीं दूँगा।

जुर्माना देने का अर्थ होगा मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ। मैं दिल की गहराई से मानता हूँ कि इंसाफ के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है। यह जुर्म हम बार-बार करेंगे।"

सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के आदिवासी इलाकों में प्रतिरोध की लहर फैल गयी। अनेक सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार के पक्ष में खड़े हो गये। 'छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन' की ओर से इस आशय से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें सुदेश टेकाम, मनीष कुंजाम, बेला भाटिया, नंदकुमार कश्यप, विजय भाई, शालिनी गेरा, रमाकांत बंजारे और आलोक शुक्ला आदि के हस्ताक्षर थे।

इनके अलावा जिला किसान संघ राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (मजदूर कार्यकर्त्ता समिति), आखिल भारतीय आदिवासी महासभा, जन स्वास्थ कर्मचारी यूनियन, भारत जन आन्दोलन, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति (कोरबा, सरगुजा), माटी (कांकेर), अखिल भारतीय किसान सभा (छत्तीसगढ़ राज्य समिति), छत्तीसगढ़ किसान सभा, किसान संघर्ष समिति (कुरूद), दलित आदिवासी मंच (सोनाखान), गाँव गणराज्य अभियान (सरगुजा), आदिवासी जन वन अधिकार मंच (कांकेर), सफाई कामगार यूनियन, मेहनतकश आवास अधिकार संघ (रायपुर), जशपुर जिला संघर्ष समिति, राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद (छत्तीसगढ़ इकाई, रायपुर), जशपुर विकास समिति, रिछारिया केम्पेन, भूमि बचाओ संघर्ष समिति (धरमजयगढ़) आदि संगठनों ने भी हिमांशु कुमार को अपना समर्थन दिया।

'छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन' के सदस्यों ने कहा कि "हमारे जैसे नागरिक समाज संगठन और छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार आंदोलन से जुड़े लोग इस बात से चिंतित हैं कि इस फैसले ने न्यायिक अदालत में न्याय की खोज को ही एक आपराधिक कृत्य बना दिया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़, विशेष रूप से बस्तर में पुलिस और सुरक्षा बलों से जवाबदेही की व्यवस्था के अस्तित्व और मानवाधिकारों की वकालत के लिए खतरा है।"

विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि हिमांशु कुमार जो कि इस मामले के पहले याचिकाकर्ता हैं, वे एक गाँधीवादी हैं तथा बस्तर में तीन दशकों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने

बस्तर के आदिवासी लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करने में लगातार मदद की है। गोम्पाड़ नरसंहार मामले में अन्य बारह याचिकाकर्ता नरसंहार में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्य हैं।

'छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन' के सदस्यों ने कहा है कि "हम यह जानकर व्यथित हैं कि बस्तर में राज्य पुलिस द्वारा आदिवासी व्यक्तियों को नक्सली होने का आरोप और उन पर दमन और बर्बरता, साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को नक्सल समर्थक के रूप में सताने का दुष्चक्र आज भी बदस्तूर जारी है।"

23 जुलाई 2022 को दिल्ली के प्रेस क्लब में देश की तमाम मशहूर हस्तियों ने इस फ़ैसले को लेकर सुप्रीमकोर्ट की आलोचना की। छत्तीसगढ़ से आयीं आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने हिमांशु कुमार के साथ खुद जेल जाने का ऐलान किया। वहीं प्रख्यात लेखिका अरुंधति राय, मशहूर वकील प्रशांत भूषण और प्रो.नंदिनी सुंदर ने भी अदालती रवैये की कड़ी आलोचना की। हिमांशु कुमार ने कहा कि जिस मामले में उनके ख़िलाफ़ जुर्माना लगा है, उसकी जाँच ही नहीं करायी गयी। अगर पुलिस का फ़ैसला ही अंतिम है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्या है।

इस मौके पर हिमांशु कुमार ने कहा कि आज़ादी के बाद एजेंडा था न्याय। ऐसा समाज जहाँ किसी को कोई यातना दे सकता है और कोई रोकने वाला न हो, वह राष्ट्र नहीं हो सकता। अन्याय कभी राष्ट्र का आधार नहीं हो सकता। गाँधी जी ने कहा था कि प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। इस विकास के माडल में उसी का विकास होता है जिसमें छीनने की ताकत हो। इस समय सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बल आदिवासी क्षेत्र में हैं। ये संसाधनों पर कब्जा करने के लिए अमीरों की तिजोरी भरने के लिए है। आदिवासी क्षेत्रों में युद्ध चल रहा है और पूँजीवाद के साथ ये युद्ध और फैलेगा। उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का नहीं सत्ता से डरे हुए जजों का फैसला है। हम फ़ैसला न मानकर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की रक्षा करेंगे। हम आज़ादी के उन दीवानों के वारिस हैं जो हँसते-हँसते जेल गये।

फिलहाल, यह लेख लिखे जाने तक हिमांशु कुमार ने पाँच लाख का जुर्माना नहीं भरा है और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया है. वे आज भी आदिवासियों के बीच सामाजिक कामों में लगे हुए हैं.

हिमांशु कुमार का जन्म जिस परिवार में हुआ है वह पूरा परिवार ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है. पंडित जवाहरललाल नेहरू, इंदिरा गाँधी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, राजनारायण आदि नेता उनके घर आया करते थे. उनका घर स्वाधीनता- सेनानियों का अड्डा था. उनके पिता प्रकाश भाई आरंभ में गरमदल वालों में से थे. सन् 42 के भारत छोड़ो

आन्दोलन के दौरान उन्होंने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन में आग लगा दी थी. इसके बाद जब पुलिस उनके पीछे पड़ी तो वे भूमिगत हो गए. भूमिगत रहते हुए ही उन्होंने गाँधी जी को पत्र लिखा. इसके बाद गाँधी जी ने उन्हें अपने सेवाग्राम आश्रम में बुला लिया. सेवाग्राम आश्रम में गाँधी जी ने उन्हें जाकिर हुसैन आदि के साथ नई तालीम को संचालित करने का काम सौंपा. गाँधी जी का सपना था कि आजादी मिलने पर गुलामी की शिक्षा भी बदलेगी. दूसरों का शोषण करने वाली शिक्षा नहीं चलेगी. वह कौन सी शिक्षा-पद्धति होगी उसकी परिकल्पना उन्होंने नई तालीम में की है.

बाद में प्रकाश भाई विनोवा के भूदान आन्दोलन से भी जुड़े. उसी भूदान आन्दोलन के दबाव से उत्तर प्रदेश मे भूमि हदबंदी (सीलिंग कानून) लागू हुआ. प्रकाश भाई को कैबीनेट मंत्री का दर्जा मिला और दान के रूप में मिली बीस लाख एकड़ जमीन बाँटने का काम उन्हें सौंपा गया. उन्होंने सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह किया किन्तु वे स्वयं भूमिहीन रहे. यहाँ तक कि उनका अपना कोई मकान भी नहीं था. अपने निधन के बाद भी उन्होंने किसी तरह का का कर्मकांड और खर्च करने के लिए भी मना कर दिया था. उन्होंने अपना शरीर भी मेडिकल के छात्रों को शोध के लिये दान दे दिया था.

अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने के आग्रही हिमांशु कुमार गाँधी जी की सलाह को ध्यान में रखते हुए गाँवों मे जाकर समाज सेवा का कार्य करना चाहते थे। इन्हीं दिनों वे बीना भल्ला के संपर्क में आये। बीना जी का परिवार भी गाँधी के विचारों से प्रभावित था। उनकी दादी की कजिन डॉ. सुशीला नैयर गाँधी जी की फैमिली डॉक्टर थीं। बाद में वे स्वास्थ्य मंत्री भी रहीं। बीना भल्ला के जीवन का लक्ष्य भी समाज सेवा ही था। इस तरह हिमांशु कुमार और बीना भल्ला ने समाज सेवा के लिए 1992 में विवाह किया और विवाह के बीस दिन बाद ही वे मध्य प्रदेश के दंतेवाड़ा (बस्तर जिला) आ गये। उन दिनों छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में नहीं आया था।

दंतेवाड़ा जाने के बाद इस जोड़े ने एक पेड़ के नीचे अपनी जिन्दगी शुरू की। आदिवासियों ने इनके लिए झोंपड़ी बनायी और शुरू हो गया समाजसेवा का कार्य। कुछ ही वर्षों में हिमांशु कुमार ने वहाँ वनवासी चेतना आश्रम की नींव डाली। इस आश्रम ने महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किसानों की ट्रेनिंग आदि अनेक परियोजनायें शुरू कीं और देखते ही देखते इस आश्रम का विस्तार 16 एकड़ की जमीन में फैल गया। यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के कल्याण के लिये कार्य किये। वनवासी आश्रम के समाज कार्य की सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक समय वहाँ प्रत्येक गर्भवती महिला को पूरी स्वास्थ्य सुविधा सुलभ थी. प्रसव के दौरान मृत्यु दर शून्य पर पहुँच

चुका था। 2005 तक इस आश्रम के पास लगभग एक हजार का स्टाफ हो गया। वे अपने कर्मचारियों को एक करोड़ के आस पास का वेतन बाँटते थे।

वर्ष 2005 तक सबकुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सरकार से उन्हें पर्याप्त सहयोग मिल रहा था। यहाँ तक कि उन्हें ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाया गया था। कंज्यूमर फोरम का जज बनाया गया था। अधिकाँश सरकारी ट्रेनिंग वनवासी आश्रम में होती थी। किन्तु इसी दौरान नयी आर्थिक नीति आयी। डंकल प्रस्ताव आया। विदेशी पूँजी के लिए देश का दरवाजा खोल दिया गया। अब राज्य का चरित्र एक लोक कल्याणकारी राज्य का न रह कर पूँजी के चाकर का हो गया। सरकार ने ब्ड़ी- बड़ी कंपनियों के लिए जमीन मुहैया कराने के लिए सल्वा जुडूम का गठन और इस्तेमाल किया। यह एक सैन्य अभियान जैसा था। नक्सल उन्मूलन के नाम पर पचपन हजार से भी अधिक आदिवासियों को उनके गाँवों से उजाड़ कर कैम्पों में रखा गया। सैकड़ो गाँव जला दिये गये। इन परिस्थितियों में अनेक पीड़ित व्यक्ति, आदिवासी निरीह लड़कियाँ, बच्चे मदद के लिए वनवासी आश्रम की ओर आये। हिमांशु कुमार भला उन्हें कैसे निराश कर सकते थे? स्वाभाविक रूप से वे यथासंभव उनकी मदद करने लगे। सरकार को जब इस तरह की सूचनाएं मिलने लगीं तो हिमांशु कुमार को इस आशय की नोटिस थमा दी गयी कि उनका वनवासी आश्रम अवैध भूमि पर बना हुआ है। इसके बाद वर्ष 2009 में आश्रम पर बुलडोजर चला दिया गया और दो दिन के भीतर ही सारा आश्रम जमींदोज कर दिया गया।

इसके बाद भी हिमांशु कुमार ने दंतेवाड़ा नहीं छोड़ा और वे एक किराए के फ्लैट में रहकर सामाजिक कार्य करने लगे। इसी दौरान गोम्पाड़ की घटना हुयी। हिमांशु कुमार इस घटना को लेकर सरकार के खिलाफ अदालत गये। फिर नक्सलियों का हमदर्द बताकर सरकार इनके पीछे पड़ गयी। हिमांशु कुमार पर इस दौरान कम से कम पाँच बार हमले हुये। इसी क्रम में एक बार उन्हें सूचना मिली कि उनके ऊपर रात में आक्रमण होने वाला है तो आधीरात को वहाँ से भागकर उन्होंने अपनी जान बचायी।

इसके नौ साल बाद वे फिर से दंतेवाड़ा गये और वहाँ नौ महीना रहे किन्तु इस बार भी उन्हें अपना मकान खाली करना पड़ा और दुबारा भागना पड़ा। आजकल फिर से वे दंतेवाड़ा में रहकर आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।

इस बीच हिमांशु कुमार को अमेरिका और इंग्लैंड की विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं में व्याख्यान हेतु बुलाया गया है और उन्होंने अनेक व्याख्यान दिये हैं। उन्होंने अनेक पदयात्राएं की हैं तथा दिल्ली से मुंबई तक की सायकिल यात्रा भी की है। सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक पर वे लगातार लिखते रहते हैं। उनके लेखन का अंदाज सबसे अलग और बेहद प्रभावशाली होता है क्योंकि उसमें जीवन की सच्चाई होती है। 'हिन्दी मेला' द्वारा आयोजित कोलाकाता के एक समारोह में दिया गया उनका व्याख्यान भी अविस्मरणीय है जहां उनसे मेरी पहली और अबतक की एक मात्र भेंट है।

अपने विरुद्ध आये अदालत के फैसले के बाद हिमांशु कुमार ने न्यायालय को एक खुला पत्र लिखा। यह पत्र 'देशगाँव' में 20 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित हो चुका है। पत्र निम्न है-

> जज साहब
> आपको यह खुला ख़त लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस ख़त को देश के लोग भी पढ़ें।
> मेरे माता पिता और ताऊजी इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे जैसे उनकी पीढ़ी के लाखों लोग लड़े। उन सभी का सपना था एक ऐसे भारत का निर्माण जिसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा सभी के साथ न्याय होगा। हमारी इस पीढ़ी ने अपने पुरखों के न्याय युक्त भारत के सपनों की धज्जियां उड़ते हुए देखा है।
> इस देश में सरकारें मुसलमानों के घरों पर बिना किसी कार्यवाही के बुलडोज़र चला देती हैं लेकिन किसी अदालत को अपनी यह बेइज्ज़ती महसूस नहीं होती कि सरकार बिना अदालती फैसले के किसी को सज़ा नहीं दे सकती।
> अगर सरकारें ऐसा कर रही हैं तो यह न्यायालय की अवमानना है | लेकिन आपको बुरा नहीं लगता। इस देश में जज लोया की हत्या एक गुंडा भाजपा नेता और मंत्री कर देता है लेकिन किसी जज को कोई गुस्सा नहीं आता कि आखिर किसी जज की हत्या करने के बाद वह गुंडा जेल जाए बिना बच कैसे गया ?
> लेकिन जज की हत्या के सबूत मिटाने उस गुंडे मंत्री के साथ एक जज ही जाता है और बाद में ईनाम के तौर पर ऊँची अदालत में प्रमोशन पाकर जज बन जाता है।

आदिवासी इलाकों में सुरक्षा बल आदिवासी महिलाओं से नियमित बलात्कार कर रहे हैं लेकिन अदालतें पूरी बेशर्मी से उन महिलाओं की शिकायतों को उठा कर कचरे के डब्बे में फेंक रही हैं। आपके समर्थन से बलात्कारी मूछें मरोड़ते हुए नई महिलाओं से बलात्कार कर रहे हैं।

आदिवासी बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की हत्याओं के 519 मामले मैंने कोर्ट को सौंपे हैं लेकिन अफ़सोस दर अफ़सोस किसी भी मामले में आपने इन्साफ नहीं दिया।

इस देश की जनता की सेवा करने वाले बेहतरीन बुद्धि वाले देशप्रेमी सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में डाल दिए गये हैं। भीमा कोरेगांव मामले में साढ़े चार साल बीतने के बाद भी सरकार चार्ज शीट तक फ़ाइल नहीं कर पाई है। करेगी भी कहाँ से मामला ही पूरा फर्ज़ी है।

लेकिन आप इन बुज़ुर्ग सामाजिक कार्यकर्ताओं को ज़मानत नहीं दे रहे हैं।

जीएन साई बाबा और उनके अन्य साथियों वाले मामले के फैसले में जज ने लिखा था इनका अपराध यह है कि इन लोगों के कारण भारत का विकास रुकता है इसलिए मैं इन्हें उम्र कैद देता हूँ।

और विकास का मतलब हम सबको पता है कि आदिवासियों के जंगल पूँजीपतियों को सौंपना ही आपकी नज़र में विकास है।

सोनी सोरी के गुप्तांगों में थाने के भीतर पत्थर भर दिए गये। मेडिकल कालेज ने उसके शरीर से निकाले गये वो पत्थर आपकी टेबल पर रख दिए लेकिन आपने ग्यारह साल के बाद इन्साफ को ठोकर मारते हुए उसकी याचिका ही ख़ारिज कर दी।

बिलकीस बानों के बलात्कारियों और उसकी बेटी के हत्यारों को रिहा करने के गुजरात सरकार के अमानवीय फैसले को आपने जायज़ कहा।

माफ़ कीजिये आपने अदालत को न्याय नहीं अन्याय करने की जगह में बदल दिया है।

करोड़ों लोग एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रहने का फैसला इस भरोसे पर करते हैं कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं कर पायेगा। लेकिन आप रोज़ अन्याय करने वालों का साथ दे रहे हैं और न्याय माँगने वालों को ही अपराधी घोषित कर रहे हैं।

जज साहब आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं। माफ़ कीजिये आप बहुत कमज़ोर और डरे हुए हैं। हालांकि आपको सरकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है संविधान ने आपको सरकार से आज़ाद रखा है।

आपको देख कर मुझे उस कुत्ते की याद आती है जिसके सामने कोई डंडा लेकर खड़ा हो और कुत्ते ने डर कर अपनी पूँछ अपनी पिछली टाँगों के बीच में दबा रखी हो।

हम चाहते हैं आपको कुत्ते से फिर इंसान बना दें। आप ना सिर्फ इन्साफ का क़त्ल कर रहे हैं बल्कि आप इंसानियत, लोकतंत्र, कानून, संविधान सबके क़त्ल के लिए ज़िम्मेदार हैं।

और अंत में यह बताना चाहता हूँ कि यह खत मैंने आपकी अवमानना करने के लिए लिखा है क्योंकि मैं जनता के साथ अन्याय करने वालों की इज्ज़त नहीं कर सकता।

आपकी अवमानना के इलज़ाम में कृपया मुझे जेल में डालने का हुकुम दीजिये जहाँ मेरी वैसे ही हत्या की जा सके जैसे आपके सहयोग से फादर स्टेन स्वामी और पांडु नरोटे की हत्या हुई।

मैं चाहता हूँ कि आने वाले बच्चे कम से कम मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में याद करें जो नाइंसाफी के खिलाफ बोला और अपने इंसान होने का फ़र्ज़ निभाया और मारा गया।

भारत का एक न्यायप्रिय नागरिक हिमांशु कुमार

संपर्क: 9433009898

तेंदुआ

अमित मनोज

तेंदुए रोज उदास उठते। वे जंगल से लगातर और दिखते असामान को लेकर चिंतामग्न रहते। कोई चारा न देख एक दिन सब तेंदुए इकट्ठे हुए।

मंच पर जैसे ही एक बूढ़ा तेंदुआ आया, सभा में मची अशांति शांति में बदल गई। सब तेंदुए बिना कुछ पूछे बूढ़े तेंदुए से पूछ रहे थे कि दादाजी आज पंचायत क्यों बुलाई।

बूंढे तेंदुए ने गला खंखाऽरा और कहना शुरू किया- 'प्यारे भाइयो, बहनो और बच्चो। आज मैंने तुम्हें एक खास मकसद से बुलाया है। तुम जानते ही हो कि आज हम भय के वातावरण में किस तरह जी रहे हैं। आदमी ने हमारे घर और तेजी से उजाड़ने शुरू कर दिए हैं। यही रफ्तार रही तो एक दिन किसी भी जगंल में कोई पेड़ शेष न बचेगा और हम.....' बूढ़ा तेंदुआ भावुक हो गया।

-'फिर क्या उपाय करें दादा जी।' सामने बैठे एक तेंदुए से रहा नहीं गया।

-'तुम पहले मेरी बात पूरी सुनो। आज के बाद शायद ही मैं तुम्हें कभी संबोधित कर पाऊं। मेरे जीवन के तो दो-चार साल ही बचे हैं, जैसे-तैसे ये भी कट जाएंगे। पर , तुम्हारे सामने अभी पूरा जीवन बाकी है। अब जंगलों में तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। आदमी तय करने लगा है कि जंगलों में कौन रहेगा। रोज अखबारों में तेदुंओं, चीतलों, दूसरे जंगली जानवरों के जंगल से भागने के समाचार देखने को मिलते हैं। इसलिए हे प्यारे दोस्तों। तुम अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करो। आदमी को डराओ। खुद बचो और जंगल बचाओ। उसी में तुम्हारी कामयाबी है। जीवन है। जय जंगल। जय पृथ्वी।'

सभा विसर्जित हो गई थी।

दादाजी के संबोधन में बहुत कुछ छुपा था। सब उनका अर्थ अच्छी तरह जान गए थे। आदमी को सबक सिखाने के लिए कुछ तेंदुए सिर पर कफन बांध जंगलों से भाग बस्तियों की ओर रवाना हो गए थे।

श्यामपुरा गांव जंगल से बीसेक किलोमीटर की दूरी पर था। गांव छोटा ही था और इन दिनों यहां किसी तरह की कोई चर्चा नहीं थी। रात को आराम से सोया गांव सुबह भी आराम से उठा था। सूरज के आने में काफी वक्त था। जंगल-झाड़ी जाने वाले पानी की बोतलें ले खेतों की ओर चल पड़े थे।

दयानंद को कहीं जाना था तो उसने गांव के जोहड़ की पाल पर ही अपना लंगोट खोल लिया था। जोहड़ में पानी नहीं था। पिछली तीनों पंचायतें इसी जोहड़ की राजनीति को लेकर बनती-बिगड़ती रही हैं। दयानंद पाल पर बैठा ही था कि उसे जोहड़ के एक कोने में कुछ होने का आभास हुआ। थोड़ा-सा उजाला और हुआ तो उसने समझा कि कोई जंगली बिलाव है। पर यह तो बिलाव से बहुत बड़ा था। दयानंद का सारा ध्यान इसी बिलाव पर लग गया। वैसे भी वह कब्ज से परेशान रहता था। घंटों बैठकर ही उसे पेट साफ करने में सफलता मिलती थी। आज तो मामला ही सारा उलट गया था।

दयानंद को बैठे-बैठे एक छेड़खानी सूझी। उसने पाल पर से एक पत्थर उठाया और जोर से बिलाव की तरफ फेंका। पत्थर बिलाव के लगा तो नहीं, पर उसके पास पड़ने से वह हरकत में आ गया।

दयानंद खड़ा हो गया। आज भी वह ठीक से निबट नहीं पाया। उसने जल्दी-जल्दी पानी से अपने हाथ धोए और पायजामे का नाड़ा गांठ मारकर भीतर की और ठूंस लिया। पाल पर खड़ा वह राह चलतों को साफ नजर आने लगा था। सूरज के आने से पहले का उजाला सारे अंधेरे मिटा रहा था।

दयानंद ने इधर-उधर देखकर एक पत्थर और उठाया और उसे भी बिलाव की तरफ जोर से और निशाना बांध कर फेंक दिया। जाने बात क्या थी कि उसके सारे निशाने नाकामयाब हो रहे थे, जबकि वह तो पहले बड़ा निशानेबाज था। बेरोजगारी से क्या पाला पड़ा, निशाने-विशाने सब भूल गया।

दयानंद ने एक और पत्थर उठाकर फेंका। आने-जाने वाले दयानंद की ये हरकतें देख उत्सुक हुए और एक-एक कर पाल पर जुड़ने लगे। निशाना इस बार चूका नहीं था। पत्थर बिलाव की पीठ पर लगा। बिलाव एकदम से बिदका और वह दयानंद की ओर एकटक देखने लगा।

पाल पर चढ़े लोग भी इस तमाशे में शामिल हो गए। जो भी आता कोई बिलाव कोई शेर कहता। कोई धमका देता कि शेर ऐसा थोड़े न होता है। शक्ल ही देख लो। बिल्ली जैसा

है। बिलाव है बिलाव। जंगली बिलाव। जंगल से भागकर आया है। कोई लगे हाथ गाली भी दे रहा था। बिलाव को। जंगलों को, और जंगल हड़पने वाले दलालों, माफियों को।

पाल पर चढ़े लोगों ने भी उसे तंग करने के लिए रुक-रुक कर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। किसी का निशाना चूक रहा था तो किसी का अचूक भी था। पत्थर किसका भी होता। सब महसूस करते कि उसी का पत्थर लगा है। पत्थर लगने की खुशी मुंह से भी जाहिर होती-लगी न साले के। हाल यह हुआ कि बिलाव के आंख-मुंह-नाक चोटिल हो गए और बिलाव गुस्से में हो गया।

उधर, सारे गांव में एक बहुत बड़े बिलाव के आने की खबर आग की तरह फेल गई। गांव के लिए यह बिन पैसे का तमाशा था, इसलिए महिलाओं व नौकरी-पेशा वालों को छोड़कर सब तमाशा देखने के लिए घरों से निकल पड़े।

बिलाव ने भी तमाशे को जरा और रोचक बना दिया। वह जोहड़ से निकलकर लोगों की ओर भागा तो लोगों ने शोर मचाकर उसे दूर भगाना चाहा। इस शोर मचाने में उनका इकट्ठा हुआ झुंड फट गया था और बिलाव के पीछे भागने वाले इन्हीं लोगों में थे। यह बहुत खतरनाक बात थी कि एक बड़ा-सा बिलाव गांव में इस तरह घुस गया था। बस बचाव की बात यह थी कि बिलाव से अभी कोई घायल नहीं हुआ था। दहशत में आ बिलाव गांव की गलियों में भागने लगा।

जिसे भी पता लगा, वह अपना घर बंद कर या तो धर में ही दुबकने लगा था या बाहर आकर तमाशे में शामिल होने लगा। लोग अपने घरों में भाग-भाग लंबे-लंबे लठ और जेली-कुल्हाड़े-गंडासे ले आए। सबका एक ही मकसद हो गया था कि किसी भी तरह बिलाव को पकड़ा जाए।

बिलाव लोगों को रह-रहकर दिखता। वे उस पर पत्थर फेंकतें। बिलाव डर के मारे और तेज भागता।

लोगों में एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी था। वह बिलाव के इस तरह तंग करने के विरुद्ध था। उसने लोगों को समझाने की कोशिश की- 'यह बिलाव नहीं तेंदुआ है। किसी जंगल से भागकर अपने प्राण बचाने आया है। इसे यूं तंग मत करो। हम भिवानी के चिड़ियाघर में फोन कर देंगे। वे खुद आकर ले जाएंगे इसे । इस तरह मत बिर्चाओ। मानो मेरी बात.....'

लोग सब तरह के थे। किसी को मास्टर जी की बात अच्छी भी लगी। किसी को नहीं भी।

मास्टर जी ने खुद कुछ करने की सोची। उन्होंने अपने किसी जानकार से चिड़ियाघर का फोन नम्बर लेना चाहा। वे खड़े-खड़े मोबाइल से बात करने लगे।

तेंदुआ भागकर गांव के पशु अस्पताल में घुस गया। लोगों को मौका मिल गया। उन्होंने अस्पताल में ही तेंदुए को घेरने की योजना बना ली। लाठी-जेली लिए लोग अस्पताल की चारदीवारी पर बैठे गए। तेंदुआ अस्पताल के एक खाली पड़े कमरे में घुस गया। तीन-चार जनों ने पत्थरों से कमरे की तरफ कई वार किए। एक पत्थर तेंदुए के ठीक सिर पर लगा। लगते ही उसका सारा सिर खून से सन गया। तेंदुए ने लोगों की भीड़ को एकबारगी देखा। सब लोग मारो-काटो की स्थिति में थे। तेंदुआ घबरा गया। उसने कमरे से बाहर की ओर रुख किया।

लोग पहले से ही तैयार बैठे थे। तेंदुआ कभी इधर भागने लगा, कभी उधर। कहीं सुरक्षित जगह न देखकर उसने सामने की दीवार की तरफ छलांग लगा दी। लोग डर गए। तेंदुए की छलांग में दो-तीन आदमी घायल हो गए। तेंदुआ फिर से गांव में भाग गया। इस बार उसने सामने से आती एक महिला पर धावा बोल दिया। महिला रोयी-चिल्लायी। लोग उसे बचाने भागते, तब तक वह घालय होकर जमीन पर गिर गई।

तेंदुए की तरफ शोर मचाता लोगों का टोल पहुंचा। तेंदुआ फिर गायब हो गया।

गांव वाले अभी तक जिसे तमाशा मान रहे थे, अब एक मुसीबत में फंस गए थे। तेंदुए ने कई जनों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था।

मास्टर जी ने चिड़ियाघर को फोन कर दिया था, लेकिन डेढ़ घंटा बीत जाने के बाद भी उधर से कोई कौआ तक उड़कर न आया था।

असल में चिड़ियाघर के लिए भी यह एक नयी मुसीबत थी। कहने को तो वहां एक टीम थी जिसका काम जंगली जानवरों को ही वश में करना था, पर कभी उसकी जरूरत नहीं

पड़ी थी। श्यामपुरा गांव में तेंदुआ घुस आने की खबर से चिड़ियाघर में अफरा-तफरी मच गई थी। एकबारगी तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। फिर भी ड्यूटी तो ड्यूटी थी।

उधर, गांव वालों ने भी पास के शहर की पुलिस चौकी में भी इत्तला कर दी थी। पुलिस ने ऐसे में कुछ न कर पाने की असमर्थता जाहिर करने के बावजूद गांव में पहुंचने को कह दिया था, पर पहुंची वह भी नहीं थी।

टीम इंचार्ज भारी तनाव में आ गया। उसने अपने साथियों को श्यामपुरा गांव चलने को कहा और घंटे भर की मशक्कत के बाद वे एक पुरानी-सी जीप में गांव चलने को तैयार हुए।

गाँव को उम्मीद थी कि चिड़ियाघर वालों के आते ही सबकुछ यूं चुटकियों में ही हो जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीद उस वक्त टूट गई थी जब उन्हें पता लगा कि उपने साथ लाए उनके हथियारों ने काम करना छोड़ दिया है और चिड़ियाघर वाले सालों से बिना प्रशिक्षण के बिर्चे हुए जानवरों को पकड़ना भूल गए हैं।

टीम आने के बाद भी तेंदुआ वश में नहीं आया। उसने आदमियों के साथ-साथ कई पशुओं को भी नुकसान पहुंचा दिया था।

आई हुई टीम के हाथ-पांव फूल गए थे। वे अपने साथ कुछ रस्से-वस्से भी लेकर आए थे। लेकिन बात सिर्फ रस्सों से ही नहीं बननी थी, उसके लिए साहस चाहिए था और तकनीक व तरकीब भी कि तेंदुए को किसी तरह जाल में फंसा लिया जाता। तेंदुआ उनके लिए एक चुनौती बन गया था।

टीम के मुख्य अधिकरी ने गांव वालों से सलाह मिलायी कि वे मिलकर तेंदुए को पकड़ेंगें। गांव वाले किसी भी तरह तेंदुए से पीछा छुड़वाना चाहते थे, इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे।

पुलिस वालों की समझ से यह सब बाहर था। वे अपने आप को तेंदुए के हमलों से बचा रहे थे।

तेंदुए ने एक और अटैक कर दिया था। इस बार उसने अपने निशाने पर टीम के साथ आए मुख्य अधिकारी को लिया था। तेंदुआ गली में किसी के मकान की छत से कूदा था और एक झपट्टे से अधिकरी की खोपड़ी को फाड़ दिया था। दृश्य इतना डरावना था कि देखने वाले सब जने भय से कांपने लगे थे और अपने-अपने देवी-देवताओं के स्मरण के लिए आसमान की ओर देखकर गुहार कर रहे थे कि कैसे भी हो, इस विपदा से बचाओ प्रभु।

टीम वाले भी बुरी तरह घबरा गए थे। अपने साथ लायी बंदूक से वे दो-तीन बार हवाई फायर भी कर चुके थे ताकि तेंदुआ डर कर गांव छोड़कर भाग जाए, पर तेंदुआ डर से निकल

गया था। वह लोगों को डरा रहा था। उसके मन में बहुत सारा गुस्सा था और वह मौका देख-देखकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था।

टीम को आदेश नहीं थे कि वे तेंदुए को मारते। उनके साथ आए अधिकरी की हालत बहुत गंभीर थी। गांव के ही तीन-चार जने अपना निजी वाहन में घायल अधिकारी को लेकर भिवानी की ओर प्रस्थान कर चुके थे।

टीम और गांव वालों ने मिलकर तय किया कि ऑफ द रिकार्ड तेंदुए को मार दिया जाए। वह पगला चुका है। जिंदा रहेगा तो जाने क्या गुल खिलाएगा।

लोगों ने अपने-अपने हाथ जेली-गंडासों-लाठियों पर कस लिए थे और वे किसी तरह तेंदुए को मारकर अपनी विजय का उत्सव मनाना चाहते थे। लोगों में यह होड़ लगी थी कि किसके वार से तेंदुआ मरे ताकि पीढ़ियों में उसका नाम रहे और गांव के किस्सों में वह सदा जीवित रहे।

लोग अपने देसी हथियारों के साथ तेंदुए को मारने के लिए जुट गए थे। एक बड़ा-सा घेरा पूरे गांव ने बना लिया था। टीम और कुछ लोग तेंदुए की तरफ भागते। तेंदुआ उनकी तरफ छलांग लगाता। लोग अपनी लाठी-जेली-गंड़ासे हवा में घुमाते। तेंदुआ हर बार घायल होता। लोग भी तेंदुए के वार से बच नहीं रहे थे।

सब लोगों को हरकत में देख तेंदुआ भी घबरा गया था। उसकी हिम्मत जवाब देने को थी। लोग जोर से हू-हू करते तो तेंदुआ डर कर इधर-उधर भागता।

लोगों ने तेंदुए को वश में कर लिया था। तेंदुआ कई जगहों से घायल हो गया था। गलियों में तेंदुए और लोगों के खून के धब्बे साफ दिख रहे थे।

तेंदुआ थक गया था। कुल्हाड़ों-गंडासों से उसके कान-वान काट कर फेंक दिए थे। जेलियां उसके शरीर में यहां-वहां घोंप दी गई थीं।

तेंदुआ हार गया था। वह अपनी निरीह आंखों से सबको समझाने की कोशिश कर रहा था- तुमसे मेरी क्या दुश्मनी दोस्तो ! तुम हमारे घर मत उजाड़ो, हम बस्तियों में नहीं आएंगे।

लोग तेंदुए की कोई बात नहीं सुन रहे थे।

वे बहरे थे और अंधे भी।

पूरा गांव तेंदुए को तड़पते देख विजयोत्सव मना रहा था।

तेंदुए की आंखें सदा के लिए बंद हो गई थी।

मीडिया के लोग जैसे तैयार ही बैठे थे। तेंदुए के मरते ही वे अपने-अपने कैमरों के साथ मैदान में कूद पड़े थे। कैमरों के सामने लोग अपनी बहादुरी पर इतरा रहे थे और भविष्य के किस्सों में सदा अमर होने के लिए बढ़-चढ़कर अपने बारे में बता रहे थे।

संपर्क - 9416207290

जुनून की इंतहा

डॉ. रतन लाल 'ख़ाकसार'

गणित का विद्यार्थी होने के बावजूद भी मैंने दुनिया की जमा-घटा की कैलकुलेशन और भविष्य की संभावनाओं को नजरअंदाज कर ज़िन्दगी को अपने उसूलों पर जिया है। मेरे ज़्यादातर अहम फैसले जज़्बातों की रौ में ही ढले हैं। इन फैसलों का मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा तो कई बार आशातीत मुनाफा भी हुआ। तांउम्र मैंने अखबारों को समाचार की दृष्टि से कम; साहित्य और सिनेमा की नज़र से ज़्यादा पढ़ा है। मेरे लिए अखबार पढ़ने का मतलब होता था - जयप्रकाश चौकसे, खुशवंत सिंह, निदा फ़ाज़ली और युनुस खान के लेखों का रसास्वादन करना। इन लेखकों के अलावा दूसरे अदीबों द्वारा सिनेमा और साहित्य पर लिखी उनकी तहरीरों को भी मैं बड़े चाव से पढ़ता रहा हूँ। शायद इन्हीं लेखों का प्रभाव रहा कि मैंने अपने घर का नाम भी सिनेसाहित्य सदन रखा। यह सौ फ़ीसदी सच है कि मेहनत और मशक्कत की बदौलत ही मैं प्राथमिक अध्यापक से होता हुआ राजकीय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाम तक पहुंचा हूँ। पद को मैं रोजी-रोटी का जरिया ही मानता हूँ। लेकिन मुझे अपने पीएच-डी होने पर फख्र है; वह भी फ़क़त इसलिए कि यह मेरी दीवानगी की परिणति है।

यह वाकया उन दिनों का है जब मैं अंग्रेजी अध्यापक से 'एबीआरसी' के पद पर नियुक्त होकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय रिवासा में कार्यरत था। वर्ष 2012 के जुलाई मास की कोई तारीख रही होगी, एक रोज़ अखबार पढ़ते वक़्त मेरी नज़र सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा द्वारा दिये गए नोटिस पर पड़ी। उसमें पीएच-डी हिंदी विषय की पांच सीटों पर दाखिले के बारे में विज्ञापन था। मैंने सभी मित्रों व परिचितों को इस बाबत इत्तिलाह दी। उस समय फ़ॉर्म के साथ दो हजार शब्दों में किसी विषय पर आलेख लिखकर भेजना भी आवश्यक था, जिस पर इंटरव्यू में आवेदक को अपना जौहर दिखाना होता था। मैंने साहिर लुधियानवी को चुना।

पीएच-डी में दाखिले का आवेदन-पत्र मैं खुद नारनौल में स्थित यूनिवर्सिटी के अस्थाई भवन में जमा करवाने गया तो वहां नॉन-टीचिंग में कार्यरत श्री सतपाल सिंह मलिक ने 'रीयल' इंटरव्यू से पहले ही मेरा 'मॉक इंटरव्यू' ले लिया। वे कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। मैं उनसे कुछ पूछता तो वे अपना काम भी करते रहते और मेरे सवालों का जवाब भी देते रहते। उन्होंने कहा, "पीएच-डी में आपका विषय और टॉपिक?" मैंने कहा ,"हिंदी और टॉपिक का नाम - साहिर लुधियानवी।" बातचीत में विराम देकर वे काम भी करते रहे। थोड़ी देर बाद वे बोले, "साहिर के बेटे का क्या नाम था?" मैंने कहा,"साहिर ताउम्र अविवाहित रहा। इसलिए उनके बेटे या बेटी होने का तो सवाल ही नहीं उठता।" थोड़ी देर अपना काम करने के बाद मलिक साहब ने दूसरा सवाल पूछा, "तू हिन्दू बनेगा ना मुसलमान बनेगा गीत किसने लिखा?" मैंने कहा ,"साहिर ने।" फिर मैं अपना आवेदन-पत्र जमा करवाकर घर आ गया। मुकर्रर तारीख को वास्तविक इंटरव्यू का समय आ गया। उसी दौरान मेरा स्कूल लेक्चरर के पद पर भी चयन हो गया था। यह सूचना मैंने यूनिवर्सिटी को पहले भिजवा दी थी कि मुझे आने में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि उसी तारीख को मैं लेक्चरर के लिए स्टेशन का ऑप्शन भरने के लिए दूसरी जगह जाऊंगा। मुझे इंटरव्यू रूम में दाखिल होने की अनुमति देने से पहले ही एजुकेशन विभाग से सम्बंधित सहायक प्रोफेसर सुश्री रेणु यादव इंटरव्यू कमेटी को मेरे लेट आने के सबब के बारे में बता चुकी थी। मैं ज्यों ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ और नमस्ते की तो सामने तीन व्यक्तियों में बीच में बैठे सज्जन ने अचानक मुझे यह कहकर आश्चर्य में डाल दिया- "आ गए। वो भी खाली हाथ?" एक बारगी तो मैं चकरा गया, फिर थोड़ा सम्भलकर और मुस्कुरा कर बोला," सर लाएंगे।" खाली हाथ से उनका अभिप्राय मेरी नई जॉब की पार्टी के रूप में मिठाई से था। असल में वे मजाक के माध्यम से मुझे इंटरव्यू से पहले नॉर्मल करना चाहते थे। बातचीत का सिलसिला शुरु हुआ। उन्होंने मेरे टॉपिक का विषय पूछा, मैंने कहा,"सर, साहिर लुधियानवी की शायरी, फ़िल्मी गीत और उनका जीवन।" बातचीत का सिलसिला साहिर द्वारा लिखी 'ताजमहल' नज़्म के शोषण और वैभव के पहलू से होता हुआ साहिर के लिखे 'औरत ने जनम दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया......' गीत तक जा पहुंचा। कमेटी में बैठे बाकी दो लोग हमारी बातचीत को केवल ध्यान से सुन रहे थे। वे मुझसे कोई भी सवाल पूछ नहीं रहे थे। फिर इंटरव्यू लेने वाले सर ने कहा, "और कुछ?" मैंने ज़िन्दगी में कई बार जुआ खेला है। उस दिन भी मैं घर से जुआ खेलने की सोचकर ही निकला था। फिर चाहे जुए का अंजाम कुछ भी हो। मैंने थोड़ा हौसला बटोरकर और इंटरव्यू के तीनों सदस्यों से मुखातिब होकर कहा,"ब्रह्माण्ड से एक टुकड़ा चला, घूमता रहा, घूमता रहा.....घूमते-घूमते उसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा 1921 में लुधियाना में गिरा, जो साहित्य और सिनेमा की दुनिया में साहिर लुधियानवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ......दूसरा

टुकड़ा घूमता रहा, घूमता रहा और 1973 में महेंद्रगढ़ में गिरा जो आपके सामने बैठा है।" मेरा जवाब सुनकर इंटरव्यू कमेटी के तीनों सदस्यों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। कुछ और सवालों के बाद इंटरव्यू लेने वाले सर ने कहा ,"साहिर पर तो आप रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वह उर्दू का शायर है। यदि आपका चयन हो जाए तो आप किसी और टॉपिक पर शोध कर लेना। अब आप जा सकते हैं।" "धन्यवाद, सर" कहकर और सबको नमस्कार करते हुए मैं बाहर आ गया।

करीब एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट आ गया। साहिर के प्रति मेरे जुनून ने अपना असर दिखाया था। कुछ दिन बाद जब मैं पीएच-डी के दाखिले की फीस भरने गया तो यूनिवर्सिटी के मुख्यद्वार पर ही एक सज्जन ने पीछे से मुझे पुकारा, शायद उन्होंने मुझे आता हुआ देख लिया था, "रतन लाल, तुम्हारा वो टुकड़ा कामयाब हो गया है। बहुत-बहुत बधाई, फीस जमा करा दो।" मुझे याद आया ये वही सज्जन हैं जो इंटरव्यू कमेटी में अंदर चुपचाप बैठे थे। बाद में पता चला कि ये हमारे शोधनिर्देशक डॉक्टर कमलानन्द झा सर हैं। जब मैं फीस भरने ऑफिस में गया तो सामने सतपाल मलिक जी बैठे थे। उन्होने कहा, "आओ साहिर साहब। हमने तो आपको इंटरव्यू में उसी दिन पास कर दिया था जब आप फॉर्म जमा करवाने आए थे।" उन्होंने एक और मजेदार बात बताई, मेरा इंटरव्यू लेते समय मलिक साहब कंप्यूटर पर कोई काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो साहिर से संबंधित सवाल सर्च कर रहे थे। उस घटना से पहले उन्होंने साहिर का नाम भी नहीं सुना था। अब जब भी कभी सतपाल मलिक जी मुझे मिलते हैं, मुझे साहिर साहब शब्द से सम्बोधित करते हैं। दाखिले के बाद धीरे-धीरे शोध के लिये टॉपिक का चयन करने बाबत मेरे शोधनिर्देशक डॉक्टर कमलानन्द झा जी से मेरा सलाह-मशविरा होने लगा। साहिर पर तो काम सम्भव नहीं था क्योंकि साहिर उर्दू के शायर हैं। सर ने मुझे अपनी पसंद का हिंदी साहित्य से सम्बंधित कोई टॉपिक चुनने की सलाह दी। लेकिन मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। सर भी मुझे कुछ टॉपिक के नाम सुझाते, मैं मना कर देता। इसी कशमकश में कई महीने गुजर गए। मेरी मंज़िल कुछ और ही थी। मैंने झा सर से साहिर लुधियानवी और शैलेन्द्र के फ़िल्मी गीतों का तुलनात्मक अध्ययन करने के टॉपिक पर उनकी राय मांगी तो सर ने मेरे उस सुझाव को भी खारिज कर दिया। झा सर ने कभी भी अपने फैसले को अपने शोधार्थियों पर थोपा नहीं। वे खुलकर विचार-विमर्श करते थे और हमें भी अपनी बात रखने का पूरा मौका देते थे। मैं सर से अक्सर कहता, "सर, मैं पीएचडी तो किसी भी टॉपिक पर कर लूंगा। लेकिन मेरे मनमाफिक टॉपिक पर रिसर्च करने पर मुझे ज़्यादा खुशी होगी।" मेरे स्कूल और नारनौल की दूरी और नौकरी की अनेक बंदिशों के चक्रव्यूह के कारण मैं बहुत ही कम यूनिवर्सिटी जाता था। इस तरह लगभग छह-सात मास बीत गए। एक रोज़ मैंने झा सर के सामने अपने बैग से चार पेस्ट फ़ाइलों का जखीरा निकाला। जब मैंने प्रत्येक

फ़ाइल को खोलकर झा सर को दिखाया तो वे विस्मय से भर गए। प्रत्येक फ़ाइल में 2000 से 2012 तक के अखबारों और पत्रिकाओं की कतरनों को मैंने चिपका रखा था। कुछ किताबों के पन्नों को भी चिपकाया हुआ था। ये कतरनें साहित्य और सिनेमा पर लिखे आलेखों से भरी थीं। इनमें कुछ लेख अंग्रेजी में भी लिखे थे। हिंदी और अंग्रेजी में लिखे इन लेखों में बहुत ज़्यादा लेख फ़िल्मी गीतों व गीतकारों पर थे। कुछ अखबार की कतरनें तो नब्बे के दशक की भी थीं। कई कतरनें तो बहुत ही खस्ता हालत में थीं, फिर भी मैंने उनको बड़े इत्मीनान से सम्भाला हुआ था। साहिर, आनन्द बख़्शी, मजरूह, कैफ़ी, संतोष आनंद, नीरज, जावेद अख़्तर, समीर, शकील, इंदीवर, गुलशन बावरा जैसे गीतकारों और राजकपूर, बी.आर. चौपड़ा जैसे अनेक फिल्मकारों, शंकर-जयकिशन, ओपी नैयर, रवि, नौशाद, एसडी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों और रफ़ी, लता, मुकेश, किशोर, आशा, मन्ना डे जैसे उच्च कोटि के गायक और गायिकाओं पर बेशुमार लेख उन पेस्टफ़ाइलों में संकलित थे। झा सर उन कतरनों को बड़े ध्यान से उलटते-पलटते और सरसरी तौर पर उनकी विषय-वस्तु भी देखते रहे। फिर मैंने अपने शोधकार्य के लिए "हिंदी फिल्मी गीतों में प्रगतिशील चेतना" टॉपिक प्रस्तुत किया, तो झा सर ने मुझसे विचार-विमर्श करके मेरे द्वारा सुझाए टॉपिक में कुछ तरमीम करके "बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध के हिंदी फिल्मी गीतों में प्रगतिशील चेतना" टॉपिक फाइनल कर दिया। इस नये शीर्षक को पाकर मैं तो झूम उठा।

उन दिनों यूनिवर्सिटी का एक कार्यालय गुडगांव (आधुनिक गुरुग्राम) में भी स्थित था। हमारे बैच के पांचों शोधार्थियों झा सर के निर्देशन में अपने-अपने शोधों की भावी रूपरेखा बनाकर जून 2013 के महीने की किसी मुकर्रर तारीख को गुरुग्राम के कार्यालय में शोधकार्य के टॉपिक पर विशेषज्ञों की कमेटी की अनुमति के लिये गए। उस कमेटी में मुख्य भूमिका थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव जी की। मेरी बारी से पहले उन्होंने हमारे साथी हवासिंह की रूपरेखा को निरस्त कर दिया। उनका विषय आर्य समाज पर था, श्रीवास्तव सर को लगा था कि आर्यसमाज पर शोध करने के लिए वह शीर्षक माकूल नहीं था। अब मेरी बारी थी। मेरे टॉपिक पर विस्तार से बात हुई। डॉ. रवि श्रीवास्तव जी को मेरा टॉपिक बहुत पसन्द आया। डॉ कमलानन्द झा सर ने मुझे वही "ब्रह्मांड में एक टुकड़ा चला, घूमते ....." वाला वाकया दोबारा सुनाने के लिए कहा। अपने प्रिय गुरुजी के आदेश को भला मैं कैसे इंकार करता। और मैंने वह वाकया दोहराया। उपस्थित सभी व्यक्ति मेरी तारीफ करने लगे। फिर श्रीवास्तव सर मुझसे साहिर पर 'डिसकस' करने लगे। एक कमाल की बात यह रही कि जब मैंने झा सर को मेरी पेस्ट फाइलों का जखीरा नारनौल में दिखाया था तो सर ने उसी वक़्त यह भी मुझे बता दिया था कि भविष्य में गुरूग्राम में होने वाली रिसर्च की मीटिंग में भी इन्हें ले जाना है। मैंने उस मीटिंग में रिसर्च कमेटी के सदस्यों को वे पेस्ट फाइल दिखाई।

श्रीवास्तव सर मुझसे फिल्मी गीतों पर बारीकी से चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा, "ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो.....गीत भी साहिर का ही लिखा हुआ है ना। "मैंने अपने लहजे में विनम्रता लाते हुए कहा, "सॉरी सर, यह मजरूह का लिखा हुआ है। "उन्होंने कहा," पक्का?" मैंने कहा,"यस सर। आप चाहें तो अभी गूगल सर्च कर लो। "बातचीत जारी रही। थोड़ी देर में उन्होंने किसी गीत की पंक्तियों को गुनगुना कर कहा कि यह भी साहिर का ही बहुत सुंदर गीत है। मैंने विनम्रता से दोबारा उन्हें टोकते हुए कहा, "सर माफ करना, यह गीत कैफ़ी का है।" हकीकत में वह गीत न साहिर का था न कैफ़ी आज़मी का, बल्कि एस. एच. बिहारी द्वारा लिखित था। उस समय हमारी बातचीत से ऐसा माहौल बन गया - जैसे दो दोस्त एक ही फ़िल्म देखने के बाद बतियाते हैं। कुछ समय उपरांत उन्होंने कहा ,"रतन लाल, क्या आपके पास साहिर के लिखे गीतों की कोई किताब है? अगर हो तो अपने गाइड झा सर से मेरा पता लेकर, भेजना।" मैंने अपनी सहमति जाहिर कर दी। कुछ समय बाद मैंने उन्हें साहिर के फिल्मी गीतों के संकलन की "गाता जाए बंजारा" पुस्तक डाक द्वारा भेज दी। गुरूग्राम की मीटिंग के तुरंत बाद ही झा सर हमारी यूनिवर्सिटी से इस्तीफा देकर और कहीं चले गये। उनके जाने पर हमें बड़ा दुख हुआ। वर्ष 2014 में यूनिवर्सिटी में तीन नये सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। आदरणीय डॉ. कमलानन्द झा की कलम से मुझे मेरी मनपसंद का पीएचडी के लिए टॉपिक मिला। और आदरणीय डॉ. अमित कुमार, जिन्होंने शोधकार्य के दौरान मुझे बहुत सहयोग दिया, के हस्ताक्षर से मुझे यह डिग्री हासिल हुई।

दीक्षांत समारोह के एक दिन पहले 'एलुमनी 'मीटिंग में मुझे भी अपने विचार प्रकट करने के लिये मंच पर बुलाया गया तो मैंने कहा, "मैं इस यूनिवर्सिटी का बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे 'पागलपन' का सर्टिफिकेट दिया है। मुझे बचपन से ही फिल्मी गीतों का जुनून रहा। इन्हीं फिल्मी गीतों में मैंने पीएच-डी की है। कुछ लोग तो अपने प्रोफेशन के लिए यह डिग्री लेते हैं। लेकिन मैंने पूरा आनन्द लेते हुए अपना रिसर्च वर्क पूरा करके यह डिग्री प्राप्त की है। लोग फिल्मी गीतों को महज मनोरंजन का ही जरिया समझते हैं। अपने शोधकार्य में मैंने समाज की घिसी-पिटी परम्पराओं का विरोध करने वाले और समाज के प्रगतिशील पहलू पर फोकस डालने वाले गीतों पर प्रकाश डाला है। मसलन, नारी-शक्ति पर 'कोमल है कमजोर नहीं शक्ति का नाम ही नारी है....' तो मानव की अदम्य जिजीविषा पर 'ना मुँह छुपाके जिओ और ना सर झुकाके जिओ...' तो मानवता पर कवि प्रदीप का लिखा 'इंसान का इंसान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा....' सरीखे गीतों को अपने शोधकार्य में सम्मिलित किया है। अमूमन लोग चार से छह बरस में यह डिग्री पूरी कर लेते हैं, लेकिन मुझे इस डिग्री को पूरी करने में छब्बीस बरस लगे हैं। चौंकिये मत, आधिकारिक रूप से तो मैंने भी यह उपाधि साढ़े चार साल में हासिल की है। मैं 2012 में इस यूनिवर्सिटी में रेजिस्टर्ड हो गया था। लेकिन मेरे

बाईस साल अनरजिस्टर्ड रहकर शोधकार्य करने में गुजरे हैं। अक्सर लोग अपने रिसर्च के टॉपिक से पीएच-डी करने के दौरान ही रू-ब-रू होते हैं, लेकिन मैंने तो अपने पीएच-डी के टॉपिक को बचपन से आज तक जीया है और इसका जुनून जीवनपर्यंत रहेगा। जब मैं यादों के दरीचे से झांकता हूँ तो मुझे हल्की-सी याद आती है- मेरी उम्र रही होगी पांचेक बरस की। मैं अक्सर धर्मवीर फ़िल्म के 'ओ मेरी महबूबा, तुझे जाना है तो जा तेरी मर्ज़ी मेरा क्या,तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी....' गीत को गुनगुनाता था। गीत में 'मेरे मरने की खबर आएगी..' पंक्ति को सुनकर मेरी दादी मुझे पीटने को दौड़ती थी और इस गीत को गाने से मना करती थी। लेकिन दीवाने किसी के रोके कब रुके हैं। ये वो ज़माना था जब घरवालों से छुप-छुपकर बच्चे और युवक सिनेमा जाते थे। अगर घरवालों को किसी ने बता दिया कि तेरा बेटा फ़िल्म देखने गया था तो फिर जमकर धुलाई होती थी। सिनेमा देखने की लत के कारण मेरे कई हमउम्रों की तो पढ़ाई भी छूट गई थी। मैट्रिक करने के बाद मैं रात के समय गणित के सवालों को हल करते समय रेडियो पर फ़िल्मी गीत सुनता था। गीत के बारे में अक्सर रेडियो उद्घोषक गायक और संगीतकार के अलावा साहिर, शकील, हसरत, नीरज, राजेंद्र कृष्ण, आनन्द बख़्शी इत्यादि के नाम भी गीतकार के रूप में लेता था। तभी से इन गीतकारों के जीवन और इनके गीतों में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। यह डिग्री लेकर मैंने अपने 'पैशन' को 'प्रोफेशन' में बदल लिया। लेकिन कुछ नया सीखने और नए क्षेत्रों में शोध करने का 'पैशन 'अब भी मुझ में बरकरार है। ज़िन्दगी में मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर साहिर लुधियानवी के व्यक्तित्व और कृतित्व ने किया है. Biologically, I am son of my parents but ideologically I am son of Sahir Ludhianvi." एलुमनी की उस महफ़िल में वाईस चांसलर सहित विश्विद्यालय के सभी प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे।

अगले दिन दीक्षांत समारोह में डिग्री अवॉर्ड होने के बाद जब मैं बाहर आया तो एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, "फलां शख्सियत के हाथों से PhD की डिग्री लेते हुए आपको कैसा लगा?" मैंने आंखों में चमक, चेहरे पर विजय के भाव और आवाज़ में आत्मविश्वास लाते हुए कहा, "उन माननीय के हाथों से डिग्री लेते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में दीगर बात यह भी है कि मुझे आज मेरी जीतोड़ मेहनत की मुकम्मल कीमत इस डिग्री के माध्यम से मिली है। इसके अतिरिक्त एक अलहदा पहलू यह भी है कि राजा से रंक तक हर व्यक्ति मेरे इस रोचक टॉपिक पर मुझसे गुफ्तगू करने को आतुर रहता है। इसका कारण यह है कि फ़िल्म संगीत सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मुख़्तलिफ़ बात हो सकती है कि उस संगीत का रंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए जुदा हो सकता है। कोई व्यक्ति 'हे रोम -रोम में बसने वाले राम.....भजन को पसंद करता है; कोई व्यक्ति 'मेरे देश की धरती सोना उगले...... तो किसी व्यक्ति के मन को 'प्यार किया नहीं जाता हो जाता है....' गीत भाता है तो किसी व्यक्ति

को 'कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे.......' गीत मुतासिर कर सकता है, तो किसी को 'तुम्हीं हो माता पिता तुम्हीं हो....प्रार्थना , जो एक फ़िल्म का ही गीत है, पसंद आ सकता है....तो किसी के दिल को 'हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए... गीत छू लेता है।" कहते हुए मैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत में मशगूल हो गया।

संपर्कः असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी (हरि.) मो. 9416963750

लघुकथा

राजा आलोचना नहीं सुनना चाहता

राजेन्द्र रंजन चतुर्वेदी

राजा व उसके मन्त्री विलासी थे। खजाना खाली हो गया। आश्रमों की वृत्ति बंद हो गयी। ऋषि ने कहा कि देश की संस्कृति और देश की प्रज्ञा को प्राण तो आश्रमों में ही प्राप्त होते हैं, हम इनको को बंद नहीं होने देंगे। इनमें ज्ञान की ज्योति जलती रही लेकिन राजा की आलोचना हुई कि उसने अपने दरबारियों के भोग विलास के लिये आश्रमों की वृत्ति बंद कर दी ।

राजा ने कहा मैं आलोचना नहीं सुनना चाहता।

मन्त्री ने कहा ज्ञान तो छिद्रान्वेषी होता है।आश्रम रहेंगे तब तक राजनीति की आलोचना का स्रोत नष्ट नहीं होगा। राजा ने आदेश दिया कि जो इन आश्रमों को सहायता देगा वह दंडनीय होगा। अब ब्रह्मचारियों को भिक्षा मिलना भी बन्द हो गया। आश्रमों में उत्पादन का काम शुरू किया गया। एक दिन मन्त्री भ्रमण करने निकला उसने देखा कि आश्रमों में ज्ञान की ज्योति अभी भी जल रही है। मन्त्री ने ऋषि की सेवा में जाकर कहा कि मैं आपसे एकान्त में कुछ कहना चाहता हूं । ऋषि ने कहा कि यह आश्रम है, यहां गुप्त-मन्त्रणा नहीं होती.आप जो भी कहना चाहें, सभी के सामने कहें ।

मन्त्री की दुविधा देख कर वहां के उपाध्याय स्वयं ही बाहर चले गये।

मन्त्री ने ऋषि से कहा कि सबके सामने आपकी तारीफ कैसे करता?

बस, इतनी सी बात कह कर मन्त्री तो चला गया।

अफवाह फैल गयी कि ऋषि को अलग से वृत्ति दी जायेगी।

अब आश्रम में सन्देह का बीज जम गया।

आचार्य आपस में ही लड़ने लगे, उनके गुट बन गये।

आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया, ज्ञान की ज्योति मन्द हो गयी ।

राजा की आलोचना भी बन्द हो गयी।

डी आर चौधरी

हरियाणा के समाज को समझने वाले बुद्धिजीवी

भूपिंदर चौधरी

उन्नीसवी शताब्दी की शुरुआत में बसे गाँव चौटाला की जमीन पर कुछ मुट्ठी भर जमींदारों का मालिकाना हक़ था। गांव के बाकी परिवार उन जमीनों पर मुजारों के रूप में कार्य करते और उसके ऐवज में फसल का एक तिहाई हिस्सा जमींदारों के घर पहुंचाते। इन्ही में से एक मुजरा परिवार में दौलत राम चौधरी (जिन्हें आगे चल के दिल्ली में डी आर व हरियाणा में प्रेम से चौधरी साहब कह कर पुकारा गया) का जन्म 1935 में हुआ। परिवार या कुनबे में शिक्षा के प्रति कोई रूचि न होने के बावजूद पिता ने उन्हें स्कूल भेजने का निर्णय लिया। गांव के माध्यमिक स्कूल में पढ़ने के समय देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलन व विभाजन ने उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी। चौधरी देवीलाल उस वक्त कांग्रेस के उभरते नेता थे। मुजारों को जमींदारों के खिलाफ लामबंद करना, गांव में कांग्रेस के जलसे व जमींदारों के हाथों होने वाले शोषण के अनुभव ने उनके विचारों को संवारना व दिशा देना शुरू किया। शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता हो सकता है, इस समझ के साथ आगे

पढ़ने का निर्णय लिया। 17 साल की उम्र में शादी हुई और आगे का संघर्ष साँझा हो गया। घर से आर्थिक मदद न के बराबर होने पर एक एक कर पत्नी के गहने बेच हिसार से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पैसे की कमी के कारण भूखे पेट सोना, दो रुपये रोज दिहाड़ी करना उनके जीवन का हिस्सा रहा। साथ ही साथ अंग्रेजी व रूसी साहित्य में उनकी रूचि बढ़ती गयी। रूसी क्रांति व लेनिन के नेतृत्व से प्रभावित हो के मार्क्सवादी दर्शन में उनका विशवास दृढ़ होता गया। तोलस्तोय के उपन्यास "वार एंड पीस" पढ़े होने के कारण ही लुधियाना में एमए में उनका दाखिला हो पाया। एम ए के बाद दिल्ली को अपनी कर्मभूमि बनाया। बिना किसी जान पहचान दिल्ली में संघर्ष का दौर शुरू हुआ। दिल्ली बिजली विभाग, देहरादून में स्कूल व चंडीगढ़ में पीजी डीएवी कॉलेज में नौकरी करते हुए अंतत 1961 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज (सांध्य) में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया।

अंग्रेजी साहित्य के अतिरिक्त समग्र ज्ञान की भूख लगातार बढ़ती गयी। धर्म, राजनीति, दर्शन, इतिहास के क्षेत्र में अध्यन बढ़ता गया व घर लाइब्रेरी में तब्दील होता चला गया। कार्ल मार्क्स के बाद सबसे अधिक प्रभावित उन्हें ग्राम्सी ने किया उनके "ऑर्गनिक इंटेलेक्चुअल" के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू किया।

लगभग 10 साल दिल्ली विश्विद्यालय में सीपीआई (एम) से जुड़ सक्रीय राजनीति से जुड़े और विश्वविद्यालय समुदाय की मांगों के लिए कई बड़े आंदोलनों के अगुवाई की। साथ ही दिल्ली से प्रकाशित अख़बारों, मेनस्ट्रीम व इपीडब्लू आदि में लिख विचारों का सृजन भी जारी रहा। 1964 में हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में कर्मचारी आंदोलन से दिल्ली विश्वविद्यालय को जोड़ा, गिरफ्तरियां दी व जेल गए।

डी आर बचपन से ही चौधरी देवीलाल के स्नेह के पात्र रहे। किसान व मजदूरों के प्रति चौधरी देवीलाल की प्रतिबद्धता ने उन्हें हमेशा प्रभावित किया। आपातकाल के बाद जनता दल का हरियाणा में चुनाव जीतना व चौधरी देवीलाल का मुख्यमंत्री बनना डी आर चौधरी के जीवन में एक परिवर्तन ले कर आया। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति हुई व हरियाणा के समाज से पुनः जुड़ने का अवसर मिला। लोकसेवा आयोग में ईमानदारी व अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए गरीब व जरूरतमंदों के पक्षधर बने। परिणामस्वरूप हरियाणा में उनकी अलग पहचान बनने लगी। उनको हरियाणा के समाज को नजदीक से देखने समझने का अवसर मिला और उसकी कमजोरियां व ताकत का अध्यन होने लगा।

हरियाणा का समाज अब उनकी लेखनी का विषय-वस्तु बन गया। हरियाणा के सामजिक व सांस्कृतिक पिछड़ेपन से वह चिंतित हुए और पाया कि यह पिछड़ापन जीवन के हर आयाम को प्रभावित कर रहा है। यह समाज न तो आधुनिक सोच के नेताओं को ही

पैदा करता है और न ही सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, जातीय समुदाय आदि को ही आधुनिक व प्रगतिशील विचारों को अपनानें देता है। परिणामस्वरूप हरियाणा का समाज प्रतिगामी विचार व खाप जैसी संस्थाओं की जकड़न से निकल नहीं पा रहा।

हरियाणा के समाज के अध्यन के साथ ही उन्हने इसे अपनी कर्मभूमि भी बनाने का निर्णय लिया। 1983 में लोकसेवा आयोग से इस्तीफा दे कर रोहतक में "हरियाणा अध्यन केंद्र" संस्था की स्थापना की। वह समझ चुके थे कि हरियाणा में सामाजिक व सांस्कृतिक पिछड़ेपन का कारण हरियाणा का अपना कोई दैनिक अखबार, फिल्म उद्योग, कला व सांस्कृतिक मंचों का न होना है। हरियाणा की अपनी अलग राजधानी न होना भी उनके अनुसार इस पिछड़ेपन का एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा। हरियाणा अध्यन केंद्र की स्थापना इस दिशा में एक पहल थी। इस केंद्र के माध्यम से हरियाणा के प्रगतिशील व्यक्तियों व संगठनों को एक मंच पर लाना, पींग साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन व लाइब्रेरी की स्थापना समाज में नव चेतना के प्रसार की एक छोटी मगर महत्त्वपूर्ण शुरुआत थी।

पींग अखबार के माध्यम से समाज के दबे कुचले व गरीब तबकों को आवाज देने का प्रयास किया। सरकार व कुछ औद्योगिक घराने पींग की खोजी पत्रकारिता से परेशान रहने लगे। डराने व परेशान करने के हर प्रकार के हथकंडे अपनाये जाने लगे। 1981 में भजनलाल सरकार द्वारा झूठे मुक़दमे डाले गए, गिरफ्तारी हुई पर डी आर ने जमानत लेने से मना कर दिया। 21 दिन जेल में रखने के बाद बढ़ते जन दबाव व रोष को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। सरकार व राजनीतिक पार्टियों से समझौता न करना पड़े, इस लिए सरकारी अनुदान व विज्ञापन न लेने का फैसला लिया। इसका असर वित्तीय संकट के रूप में सामने आया और लग-भग 8 साल के प्रकाशन के बाद पींग को बंद करना पड़ा।

समाचार पत्र, फिल्म उद्योग, अध्यन व विमर्श की परम्परा प्रदेश में मजबूत हो इसके लिए उनके प्रयास जारी रहे। उनका मानना था की हरियाणा में एक पुनर्जारण आंदोलन की जरूरत है और उस से ही सामाजिक व सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। अपने जीवन के लगभग अंतिम तीन दशक उन्होंने इसके लिए आवश्यक संस्थाओ को विकसित करने और अपनी लेखनी से वैचारिक आधार तैयार करने में लगाए। चंडीगढ़ व प्रदेश के अन्य अख़बारों में लगातार छपने वाले उनके लेख यहां की प्रतिगामी सामाजिक संस्थाओ और विचारों पर चोट करते रहे। राजनीति में आया राम गया राम की संस्कृति, खाप पंचायतों द्वारा परम्परा के नाम पर किये जाने वाले अत्याचार, विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र विचारों व शिक्षा का दमघोंटू वातावरण, जातीय हिंसा, हरियाणा में स्वतंत्र राजधानी की आवश्यकता, महिला शिक्षा व भ्रूणहत्या व अन्य सामाजिक संस्थाएं उनकी लेखनी की

विषय-वस्तु रही। अपने लेखों से इन मुद्दों पर नया दृष्टिकोण सामने रख समाज में एक बहस की शुरुआत की।

डी आर चौधरी का मानना था कि पुनर्जारण नुमा आंदोलन या नव चेतना के विकास में राजनितिक पार्टियों व सरकार की अहम् भूमिका हो सकती है। दुर्भाग्यवश हरियाणा में सत्ताधारी पार्टियां इस यथास्थिति को बदलने की बजाय उसे पोषित ही करती हैं। बुर्जुआ राजनीतिक पार्टियों व सत्ता की अनिच्छा के चलते जन आंदोलन ही एक मात्र रास्ता बचता है जिससे दबाव बना सामाजिक व सांस्कृतिक विकास सम्बन्धी कदम उठाने के लिए सरकारों को मजबूर किया जा सकता है। सरकार स्वयं पहलकदमी करे तो बदलाव तेजी व सरलता से हो सकता है। इसी के मद्देनजर उन्होंने प्रयोगस्वरूप 'हरियाणा लोक मंच' नामक राजनितिक मंच की स्थापना भी की, हालांकि यह प्रयोग असफल रहा।

रूढ़िवादी परम्परओं की हरियाणा के समाज पर पकड़ व इन्हें पोषित करने वाली सामाजिक संस्थाएं व राजनीतिक पार्टियां हमेशा उनके लिए चिंता का विषय रही। उनका मानना था कि परम्पराओं को समय के साथ बदलना चाहिए। समय के साथ न बदलने वाली परम्पराएं तालाब में खड़े पानी की तरह होती ह। जिस तरह तालाब में खड़ा पानी सड़ने लगता है और उसमे से बदबू आने लगती है, उसी प्रकार समय के साथ न बदलने वाली परम्पराएं भी सड़ने लगती है और पूरे तालाब (समाज) को दूषित करने लगती हैं।

सामाजिक व सांस्कृतिक पिछड़ेपन से पोषित खाप, परिवार व समाज उन्हें विचलित करता। आधुनिक शिक्षा, संचार साधन व बढ़ती सामाजिक गतिशीलता नई परिस्थितियों को जन्म दे रही थी। लड़कियां गावों से निकल पास के कस्बों व शहरों में जाने लगी। आधुनिक मूल्यों से परिचय, स्वयं के व्यक्तित्व की पहचान व अपने जीवन के निर्णय खुद लेने की सोच ने सदियों से चली आ रही परम्पराओं को चुनौती दी। परिवार, समाज व खाप पंचायतों की मिलीभगत से महिलाओं की इज्जत के नाम पर बढ़ती हत्याओं ने उन्हें विचलित किया। इसी समय प्रदेश में दलितों व अल्पसंख्यकों पर हमले भी तीव्र होने लगे। बढ़ती उम्र की प्रवाह किये बिना इन घटनाओं में हस्तक्षेप कर वास्तविकता को उजागर करना अब जरूरी हो चला था। जनवादी महिला समिति व अन्य प्रगतिशील संगठनों के साथ मिल कर गांवों में जा, अत्याचार के शिकार परिवारों से मिल रिपोर्ट व प्रेस के माध्यम से प्रतिरोध को मजबूती प्रदान की। "ऑनर किलिंग" की घटनाओं में हस्तक्षेप ने उन्हें खाप पंचायतों के इतिहास, स्वरुप, व भूमिका के अध्यन के लिए प्रेरित किया। इस विषय पर अपनी समझ को उन्होंने अपनी पुस्तक "खाप पंचायतों की प्रासंगिकता" में संकलित किया जिसको एन बी टी ने सन 2013 में प्रकाशित किया। दलित, अल्पसंख्यक व इज्जत के नाम पर शादी शुदा जोड़ो का बहिष्कार व हत्याओं पर रिपोर्ट तैयार कर उन्हें मीडिया के सामने रखने के इन प्रयासों को डी आर

चौधरी ने संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया व सन 2011 में "हरियाणा इन्साफ सोसाइटी" की स्थापना की। सुरेंदर प्रताप सिंह व अन्य प्रगतिशील साथियों की मदद से अनेक घटनाओं में हस्तक्षेप कर मेवात में अल्पसंख्यकों पर हमले, मिर्चपुर में दलितों पर हमले व कई "ऑनर किलिंग" की घटनाओं पर इस संस्था की और से रिपोर्ट प्रकशित की गयी। बढ़ती उम्र व खराब स्वास्थ्य के चलते यह संस्था ज्यादा समय तक न चल सकी तथा सन 2016 में इसे बंद करना पड़ा।

सन 2017 के बाद खराब सेहत के चलते उनकी सक्रियता लग भाग बंद हो चुकी थी। अधिकतर समय घर पर ही किताबें पढ़ने में लगाते। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने उन्हें जकड़ा और 2 जून की सुबह उनकी जीवन यात्रा पर पूर्णविराम लग गया।

डी आर चौधरी हमेशा मानते थे कि मानव समाज के बदलाव में मानव जीवन क्षण भर का ही होता है, मगर समाज की बेहतरी के लिए बदलाव में उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। वह समाज व व्यक्ति के द्वंद्वात्मक रिश्ते को बखूबी पहचानते थे। समाज के समग्र विकास के बिना व्यक्ति या समुदाय विशेष का विकास सम्भव नहीं। अपने जीवन में सक्रीय हस्तक्षेप व अपनी लेखनी से समाज की बेहतरी के लिए उन्होंने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें विश्वास था कि आने वाली नस्लें भी अपना योगदान जरूर देंगी व हरियाणा समाज को सामाजिक व सांस्कृतिक पिछड़ेपन से छुटकारा मिलेगा। डी आर चौधरी कि विचारों को उनके अनेकों लेखों व उनकी तीन पुस्तकों 1. Haryana at the Crossroad 2. Khap Panchayat and Modern Age 3. Education and Social Development में पढ़ा और समझा जा सकता है।

संपर्क: 9968313730

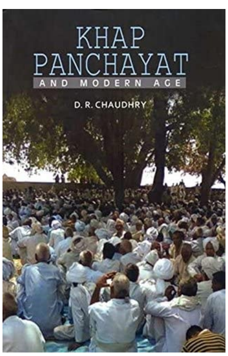

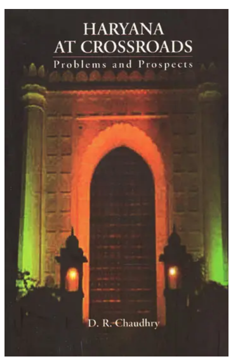

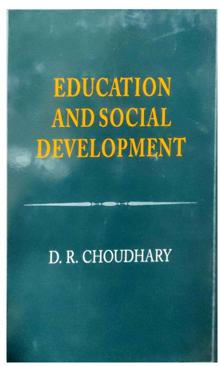

कुसुमाग्रज
अनुवाद - गुलजार

विष्णु वामन शिरवाडकर कुसुमाग्रज (जन्म- 27 फ़रवरी, 1912 मृत्यु- 10 मार्च, 1999) मराठी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। उन्होंने स्वतंत्रता, न्याय और वंचितों की मुक्ति के बारे में लिखा। उन्हें मुख्यत: 'कुसुमाग्रज' नाम से जाना जाता था। विष्णु वामन शिरवाडकर ने पांच दशकों में 16 कविता संग्रह, तीन उपन्यास, 8 लघु कथा संग्रह, 7 निबंध संग्रह, दर्जनों नाटक लिखे। 'विशाखा' जैसी उनकी रचना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक पीढ़ी को प्रेरित किया।

रीढ़

"सर मुझे पहचाना क्या?"
बारिश में कोई आ गया कपड़े थे मुचड़े हुए
और बाल सब भीगे हुए पल को बैठा,

फिर हँसा और बोला ऊपर देखकर

"गंगा मैया आई थीं,
मेहमान होकर कुटिया में रह कर गई !

मायके आई हुई लड़की की मानिन्द
चारों दीवारों पे नाची

ख़ाली हाथ अब जाती कैसे ?
ख़ैर से, पत्नी बची है
दीवार चुरा हो गई, चूल्हा बुझा,
जो था, नहीं था, सब गया !

"'प्रसाद' में पलकों के नीचे चार कतरे रख गई है पानी के!
मेरी औरत और मैं, सर, लड़ रहे हैं
मिट्टी कीचड़ फेंक कर
दीवार उठा कर आ रहा हूँ!"

जेब की जानिब गया था हाथ,
कि हँस कर उठा वो...

'न न', न पैसे नहीं सर,
यूँही अकेला लग रहा था!
घर तो टूटा, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी मेरी...

हाथ रखिए पीठ पर और इतना कहिए कि लड़ो... बस!"

शोहरत

शोहरत मतलब
पहले दिन तो
फूलों का....
सहरा और साफा!

दूसरे दिन उन फूलों से कूड़े में कुछ और इज़ाफा!

आखिर हासिल

आधी रात
बीत चुकी तो,
शहर के पाँचों पुतले
एक थड़े पर बैठ गए
और आंसू पिघलने लगे

ज्योति, बोले
"मैं तो आखिर ठहरा मालियों का"

शिवाजी महाराज भी बोले
"और मैं सिर्फ मराठों का "

बोले अंबेडकर,
"और मैं तो बोधियों का ही ठहरा"।

तिलक ने कहा कि
"मैं चित्तपावन ब्रह्माणों का हूं।"

गांधी जी
तब रूंधा गला खंकारकर बोले

"आप बड़े खुशकिस्मत हैं तब
कम से कम एक जमात तो फिर भी आप
के पीछे है।
मेरे पीछे तो
सरकारी कचहरियों की दीवारें है!!

प्रकाश पुंज
श्री कृष्ण यादव

जरा देखो
इन प्रकाशिक तंतुओं को
जो अदृश्य थे हमेशा से अंधेरों में
हमारी बौद्धिकता ने जिन्हें हमेशा ही गुम रहने दिया
जरा देखो
इनका बढ़ता हुआ साहस
हमारे ही सामने मिलकर बन रहे ये प्रकाश पुंज
कुछ करो
जैसे करते आए हो अब तक
नहीं इस उजाले में
सब देख लेंगे हमारा असली चेहरा
कोशिश करो
यह प्रकाश पुंज
गला न पाए हमारा स्तंभ
जिसे हमने खड़ा किया है
इन्हीं तंतुओ को चूसकर
इसके मार्ग में रख दो
अपना पुराना हथियार उत्तल दर्पण
इन्हें बिखेर दो फिर उसी तरह
इस पर परदा डालना या पानी
लेकिन बुझना चाहिए हर हाल में यह प्रकाश पुंज!

मार डालो

इन्हें रोको, इन्हें मारो
इसलिए नहीं कि ये शांति भंग कर रहे हैं
इसलिए कि
ये हमारे षडयंत्र को समझ गए हैं
इन्हें जेल में डाल दो
हो सके तो इन्हें शिक्षा से ही वंचित कर दो
नहीं तो कल
ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे
हमी से ही सवाल जवाब-जवाब करेंगे
कोशिश करो कि इन्हें मार डालो

संपर्क - 8081476550

एक युद्ध ऐसा भी

नरेश कुमार

दुनिया के तमाम युद्धों के बीच
एक युद्ध यह भी तो है
कि एक मजदूर
दिनभर की दिहाड़ी के बाद
आधा राशन लिए घर लौटता है।

उसके साथ
उसके बच्चे भी इस युद्ध में उतरते हैं
अपनी हसरतों को मारते हैं
और हर रोज
खुद भी थोड़ा-थोड़ा मरते हैं।

यह युद्ध कहीं दर्ज नहीं होता
न जेनेवा में
न संसदों में
न सरकारी आंकड़ों में
न समाज सेवियों के एजेंडे में।

यह युद्ध
पेट की खंदकों में
आँसूओं की जमीन पर लड़ा जाता है।

यह ऐसा युद्ध है
जिसमें दो राष्ट्र तो नहीं लड़ते
पर एक राष्ट्र
फिर भी हार जाता है।

संपर्क - 8930622744

भगत सिंह का आल्हा

शैलेन्द्र सिंह

भगत सिंह की कुरबानी पर आल्हा गाने निकला हूँ,
आज़ादी के दर्पण की मैं धूल हटाने निकला हूँ।

जब जनता को साँसों का ही बन्धन भारी लगता था,
भँवरों को भी कलियों का अभिनन्दन भारी लगता था।

जब सपनों के परकोटे भी बेबस हो कर डहते थे,
छोटे-छोटे बच्चे भी जब तन पर कोड़े सहते थे।

जब सूरज ने घुटने टेके बुझे पतंगों के आगे,
जब सोने की चिड़िया रोई भूखे-नंगों के आगे।

जब चरखे की भाषा भी थी नहीं सुहाई शासन को,
जब भारत माँ के आँचल से बदबू आई शासन को।

जब हिंसा की थी गोरों ने सारी सीमा पार करी,
तभी हमारे वीरों ने थी हाथों में तलवार धरी।

उन तलवारों की झनकारों का अजय रोष था भगत सिंह,
कुचली जनता की ललकारों का विजय घोष था भगत सिंह।

दशम् गुरू के बाजों का भी स्वाभिमान था भगत सिंह,
इंकलाब की बोली का भी अमर गान था भगत सिंह।

भारतीयों की पीड़ा से वो उपजा था बन चिंगारी,
घोर अंधेरी रजनी में वो आया था बन उजयारी।

उस सिंहों के वंशज को निज धर्म निभाना आता था,
साहस बो कर धरती से बंदूक उगाना आता था।

भगत सिंह को आज़ादी का मोल चुकाना आता था,
एक धमाके से गोरों का तख्त हिलाना आता था।

उस जज्बे के अम्बर को मैं शीष झुकाने निकला हूँ,
भगत सिंह की कुरबानी पर आल्हा गाने निकला हूँ।

जब डायर की अत्याचारी चाह देश में गूँजी थी,
जलियाँ वाले बाग की वो आह देश में गूँजी थी।

साइमन द्रोही नारों के जब भाव देश में उफने थे,
लाला जी के खून सने जब घाव देश में उफने थे।

इंकलाब की भाषा में तब गोरों का मुँह मोड़ दिया,

असैम्बली में भगत सिंह ने सरेआम बम फोड़ दिया,
बलिदानों का पथ भगत सिंह कहीं त्याग कर गये नहीं,
सरेआम बम फोड़ा पर वे कहीं भाग कर गये नहीं।

वे वीरदत्त बाबू भी तो भगत सिंह के संगी थे,
वहीं सभा में इंकलाब गा डटे रहे वे जंगी थे।

उन वीरों को गोरों ने फिर डरते-डरते पकड़ लिया,
देश धर्म के दीपों को था हथकड़ियों में जकड़ लिया।

हिम्मत के उन शिखरों पर मैं फूल चढ़ाने निकला हूँ।
भगत सिंह की कुरबानी पर आल्हा गाने निकला हूँ।

जो फाँसी मंगल पाँडे के संकल्पों की भाषा थी,
अशफ़ाकउल्ला की आँखों में आज़ादी की आशा थी।

वो ही फाँसी तेरा बेटा हँसते-हँसते चूमे माँ,
आज़ादी का परवाना बन इंकलाब गा झूमे माँ।

बेटे की माँ लाश देख कर बिलकुल भी तुम मत रोना,
लल्ला-लल्ला लोरी का शव कंधों पे भी मत ढोना।

बलिदानों की बुनियादों पे जब आज़ादी आएगी,
जब खादी ही आज़ादी को गिरवी रख मुस्काएगी।

मजदूरों की चीखों को भी शोर कहेगा शासन जब,
लाल किले का सच्चाई से दूर रहेगा भाषण जब।

शैलेन्द्र सिंह चैनत, हिसार के रहने वाले हैं। स्वयं दृष्टिबाधित हैं। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, दिल्ली में हिंदी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। सम्पर्क- 9467090170

फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट: नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा

स्वदेश कुमार सिन्हा

रविवार, 20 अगस्त को दिल्ली से प्रगतिशील जनसंगठनों से जुड़ी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम मेवात गई थी, जिसमें समाजवादी लोकमंच से धर्मेन्द्र आज़ाद, न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव से स्वदेश सिन्हा, जनाधिकार संघर्ष दल से अश्विनी कुमार सुकरात तथा नदीम प्रमुख शामिल थे। इन्होंने हरियाणा में मेवात के नूंह जिले में उन इलाकों का दौरा किया, जहां 31 जुलाई को हिन्दुओं के एक जुलूस पर कथित रूप से मुसलमानों ने हमला किया था, जिसमें दो होमगार्डों सहित सात लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा कुछ पुलिसकर्मी सहित अनेक लोग घायल भी हुए और अनेक वाहनों में आग लगा दी गई।

इस संबंध में टीम ने विस्तार से हिन्दू-मुसलमानों से बात की तथा उन इलाकों और गांवों में गई, जहां पर आज भी उस घटना को लेकर मुस्लिम युवकों की गिरफ़्तारियां हो रही हैं। उस घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है- 31 जुलाई को नूंह के नल्हड़ मंदिर से विश्व हिन्दू परिषद और मातृशक्ति दुर्गावाहिनी की तरफ़ से एक कलश यात्रा फिरोज़पुर झिरका की तरफ़ रवाना हुई थी, जैसे ही वह यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुंची, वहां एक समुदाय के लोग पहले से जमा थे। उनके आमने-सामने आते ही दोनों गुटों में टकराव हुआ और इसके बाद आगज़नी शुरू हुई, जिसमें कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया।

नूंह के फिरोज़पुर झिरका में रहने वाले डॉक्टर अशफा़क आलम; जो एक डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा 'मेवात विकास मंच' के बैनर तले हमेशा उस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संघर्षरत रहते हैं। टीम की इस यात्रा में उनकी बहुत महत्त्वपूर्णभूमिका थी। हमने उनके साथ नूंह में विभिन्न हिन्दू-मुस्लिम तबकों से मुलाक़ात की, जिससे एक बात निकलकर सामने आई, कि 31 जुलाई को निकलने वाली यात्रा में करीब 4-5 हज़ार लोग थे, सभी बाहर से आए थे और तलवार-डंडे आदि से लैस थे।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है, कि ब्रजमंडल यात्रा जिस शिव मंदिर से निकली थी, उसके बारे में विश्व हिन्दू परिषद तथा अधिकांशतः मीडिया यह बता रहा है, कि यह मंदिर बहुत अधिक प्राचीन और पांडव कालीन है, परन्तु उस मंदिर में पहुंचकर टीम के सदस्यों ने देखा, कि मंदिर मात्र दस वर्ष पूर्व निर्मित दिखाई देता है। मंदिर के परिसर में भारी मात्रा में पुलिस के जवान रह रहे हैं तथा वे दिल्ली से आए किसी भी मीडिया वाले या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दे रहे थे। बहुत मुश्किल से टीम के सदस्य मंदिर में प्रवेश कर पाए, हालांकि पुलिस लगातार गिरफ़्तार करने की धमकी दे रही थी।

इनमें पिछड़ी जातियों के कोली और गुर्जर भी थे, जो अत्यन्त गरीबी की अवस्था में बकरी पालन और खेतिहर मज़दूरी के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों के घर केवल दो घंटे की नोटिस में सुबह-सुबह गिरा दिए गए। उन्हें अपना सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला और अनाज सहित सारा सामान मलबे में दबा पड़ा है। इन लोगों ने टीम के सदस्यों को बताया,''हम लोग कई पीढ़ियों से यहां रहते आए हैं, बिजली का बिल भी देते रहे हैं। वन विभाग की ज़मीन पर बसे होने के मुकदमे का स्टे 2019 में ही मिल गया था, फिर एकाएक घरों का ध्वस्तीकरण समझ से परे है।''

ये लोग अपनी जीविका चलाने में ही इतने व्यस्त रहते हैं, कि दंगे में भागीदारी की बात तो दूर इसके बारे में भी उन्हें बहुत कम जानकारी है। उन्हें इस अमानवीय दशा में जंगल में अपने टूटे घरों के पास रहते हुए देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। उन्होंने बताया- ''प्रशासन या कोई भी हिन्दूवादी संगठन उनकी मदद के लिए अभी तक नहीं आया है, केवल जमाते-इस्लामी के लोग ए क-दो बार आकर कुछ अनाज आदि दे गए हैं।''

यह घटना यह बतलाती है, कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई भी फासीवादी सरकार कितना नीचे गिर सकती है। इस टीम के सदस्यों ने कुछ उन गांवों का दौरा किया, जहां पर मुस्लिम युवक दंगे के आरोप में गिरफ़्तार किए गए थे। इसमें एक नेवली गांव है, जहां पर एक ही परिवार से करीब 9-10 युवकों को गिरफ़्तार किया गया था। ये गिरफ़्तारियां एक विशेष पैटर्न को दिखाती हैं। जिन परिवारों से इन्हें गिरफ़्तार किया गया, वे सभी कांग्रेसी हैं। दूसरे एक गांव में जहां एक भाजपा का मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ा था, पर जीत नहीं पाया था, वहां से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया।

एक युवक के बारे में लोगों ने बताया कि वह दंगे के समय हज़ करने गया था, लेकिन लौटने पर उसे दंगे का आरोपी बताकर गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ युवक फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली में नौकरी करते हैं, वे भी वहां पर उस समय मौज़ूद नहीं थे, लेकिन उन्हें भी दंगे का आरोपी बताकर गिरफ़्तार किया गया। सम्भव है कि लम्बी कानूनी प्रक्रिया में वे लोग छूट भी जाएं, परन्तु बेहद ग़रीब इलाकों में रहने वाले वे लोग मुक़दमे के लिए हमेशा चंडीगढ़ आने-जाने का ख़र्च तक उठाने में सक्षम नहीं हैं।

गांव के लोगों का कहना था, सम्भव है कि "उन्हें मुक़दमे के लिए अपनी ज़मीनें तक बेचनी पड़ें।" उन गांवों में लोगों से बातचीत करने पर पता लगा, कि वहां पर हिन्दू-मुस्लिम तनाव जैसा कुछ भी नहीं है। हिन्दू-मुस्लिम सभी शादी-विवाह और सुख-दु:ख में आपस में मिल जुलकर रहते हैं। वहां पर ढेरों लोगों ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल के बारे में बताया, जो लम्बे समय से मेवात के मुस्लिमों की ग़लत छवि पेश करता रहा है। वहां हुए दंगे के बाद उसने कई लोगों के भड़काऊ वीडियो भी अपने चैनल पर दिखाए, बाद में इस चैनल के एक रिपोर्टर मुकेश कुमार को गिरफ़्तार भी किया गया।

लेकिन मुकेश कुमार के ख़िलाफ़ गुरुग्राम पुलिस ने कथित तौर पर फेक न्यूज़ फैलाने और धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज़ की गई थी, लेकिन मुकेश कुमार को जल्दी ही ज़मानत मिल गई तथा भाजपा सरकार ने गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त (कमिश्नर ऑफ पुलिस) कला रामचन्द्रन का तबादला कर दिया। लोग इस तबादले को रिपोर्टर की गिरफ़्तारी से जोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इंकार कर रही है, इन सबने भी नूंह में दंगा भड़काने में महत्त्वपूर्णभूमिका निभाई।

अंत में इस टीम का यह निष्कर्ष है, कि हरियाणा का मेवात इलाका; जिसमें नूंह जिला स्थित है, वह हरियाणा का सबसे ग़रीब जिला है, वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती, पशुपालन और दूध का व्यवसाय है। चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरा होने के कारण खेती लायक ज़मीन बहुत कम है तथा सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उस इलाके

के गांव में जाने पर पता लगा, वहां पर साफ़-सफ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है और सड़कें इतनी ख़राब हैं कि वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है।

वहां पर अनेक लोगों ने बताया कि भाजपा शासन के दौरान जिस तरह वहां के मुस्लिम युवकों को गौ-तस्करी के झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, उसके कारण बहुत से लोग गाय पालन का व्यवसाय छोड़ रहे हैं। इन सब आर्थिक कारणों से भी बहुत से युवक अपराध की ओर मुड़ रहे हैं, जिनकी उस दंगे में भागीदारी से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यहां साक्षरता की दर बहुत कम है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति बहुत कम है। इस विषय के जानकार ने टीम को बताया, कि वहां करीब 55 सरकारी स्कूलों के पास अपना कोई भवन नहीं है, वे महज़ कागज़ों पर ही चल रहे हैं। यही सब कारण है, कि वहां पर दंगों की ज़मीन हमेशा तैयार रहती है। हालांकि व्यापक दंगे कराने की योजना सफल नहीं हो सकी,परन्तु शहरी इलाकों में हिन्दू-मुस्लिम ध्रुवीकरण साफ़ दिखाई देता है।

नूंह में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और वहां पर हिन्दू-मुस्लिम के बीच कोई बड़ा विवाद कभी नहीं हुआ। नूंह का दंगा पूरी तरह से सुनियोजित था और उसकी भूमिका लम्बे समय से बनाई जाती रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ख़ुद कह रहे हैं, कि यह दंगा पूर्वनियोजित था। घटनाएं यह बता रही हैं, कि देश और हरियाणा का सत्ताधारी दल वहां की घटनाओं की साज़िश में ख़ुद भी शामिल है तथा ये लोग 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर समाज में ध्रुवीकरण करने के लिए गुजरात की तरह समूचे मेवात को हिन्दूवादी फासीवाद की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं।

(जनचौक से सभार)

ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा और मेवात

जीवन सिंह

मेवात की पूर्वी और ब्रज की पश्चिमी सीमाएं आपस में सटी हुई हैं। इसलिए मेवात और ब्रज की आबादी भी एक सीमा में मिली जुली है। मेवाती बोली के तीन अंचलों में पूर्वी मेवाती भयाना मेवाती कहलाती है ऐसा अनुमान है कि यह बयाना की तरफ़ होने के कारण भयाना कहलाई हो, बयाना इस अंचल का प्राचीनतम स्थान है, भरतपुर से बहुत पहले का, भरतपुर से पुराना तो धौलपुर है। भरतपुर की बसावट अठारहवीं शताब्दी की है, जहां महाराजा सूरजमल का बनाया हुआ क़िला अठारहवीं सदी में निर्मित हुआ है। बहरहाल पूर्वी मेवाती ब्रज से सटी हुई है जिसका एक सिरा कभी ब्रज में ही रहा होगा इसीलिए मेवात के कुछ गांवों से होकर आज भी ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा लगाने की परंपरा बनी हुई है। हर तीन साल बाद जब भी अधिक मास यानी लौंद के महीने में ब्रज का आम जन ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा लगाता है। तब वह मेवात में पड़ने वाले बीसियों गांवों के मार्गों से होकर गुजरता है। विशेष अवसरों पर कामां के अष्टछाप वल्लभ सम्प्रदाय के गुसाईं ब्रज चौरासी कोस की यात्रा का आयोजन कराते रहे हैं। जो पूरे ठाठ-बाट और साजो-सामान के साथ निकलती है जिसमें गुजरात तक के कृष्ण भक्त भागीदारी करते हैं। इन यात्राओं में ब्रज की लोक-संस्कृति और लोकसंगीत के विशेष आयोजन होते हैं। पूरा लश्कर लवाजमा इन यात्राओं में साथ चलता है। लेकिन आज तक मेवातियों ने इसमें कभी कोई अवरोध पैदा नहीं किया। इसको भी उन्होंने अपने जीवन और लोक-संस्कृति का हिस्सा बना लिया।

आज जो नूंह जैसा उपद्रव यहां नज़र आता है वह लोकतंत्र प्रणाली में वोट के कारण पैदा किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई अपराध मुक्त इलाका रहा है। व्यक्तिगत अपराधी सभी जगहों पर होते हैं और वहां कुछ अधिक होते हैं जहां के समुदाय पिछड़े, अभावग्रस्त,और मंहगाई, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार की मार से हमेशा त्रस्त रहते हैं। जिनके पास न शिक्षा होती हैं न ही रोजगार के उत्कृष्ट साधन। ऐसे समुदायों के प्रति

जरायमपेशा होने का पर्सेप्शन अंग्रेजी ज़माने से ही बना हुआ है। क्या कारण है कि पूरा मेवात और उसमें भी नूंह जिला भारत के सबसे पिछड़े हुए जिलों में आता है। यहां आज भी पशुपालन और खेती किसानी ही सबसे बड़े रोजगार के साधन है। जबकि विडंबना यह है कि यह इलाका दिल्ली की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है। इसकी एक वजह मेवातियों का लड़ाकू स्वभाव होना भी रहा है। यद्यपि ये मेव समुदाय के लोग सूफ़ियों के प्रभाव से इस्लाम मतावलंबी हो गये फिर भी ख़िलज़ी,मु गल और पठान शासकों से लगातार लड़ने का इनका इतिहास रहा है। एक मेवाती दोहे में कहा गया है

दिल्ली पै धावौ कियौ,अपणा पण कै पाण।
डरपा मेवन सू सदा, खिलजी मुगल पठान।

यद्यपि अपने आदि रूप में मेवाती बोली राजस्थानी की कई बोलियों में से एक मानी जाती है। इसीलिए इनके मीरासियों और भाट जग्गाओं ने इनको इनके लड़ाकू स्वभाव के कारण राजपूत वंशजों के नजदीक रखा है। इनकी बारह पाल और एक पलाकड़े का नामकरण राजपूत वंशों के आधार पर किया गया है। गोत्र 52 हैं जो राजपूत गोत्रों से नहीं मिलते।

मेवाती बोली से भी पता चलता है कि इसका ध्वनि विन्यास राजस्थानी जैसा होना है जिसमें मूर्द्धन्य ध्वनियों का विशेष बलाघात मिलता है। इसका ल भी राजस्थानी ल़ के समानांतर है यद्यपि मेवाती की कुछ अपनी ऐसी विशिष्टताएं भी हैं जो न राजस्थानी में हैं न ब्रज में। जैसे कर्म कारक का लू प्रत्यय। इधर को के लिए इतलू, उधर को के लिए उतलू। इसी तरह यहां के लिए हीण और वहां के लिए हूण सर्वनाम का प्रयोग। मेवाती का बोलने का लहजा भी मेवों और हिंदुओं की मेवाती का अलग-अलग है। इस वजह से मेरे गांव जुरहरा को हिंदू जहां जुरहरा बोलते हैं वहीं मेव जुरहड़ा बोलते हैं। लेकिन रूप विन्यास में यह ब्रज के समीप इसकी ओकारांत क्रियाएं और बहुवचन ब्रज के अनुसार ही हैं। बहरहाल

कल सोशल मीडिया से मालूम हुआ कि हमारे गांव जुरहरा से सटे हरियाणा के परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले मेवाती गांव बिछोर में एक मेव युवक शौकत खां परिक्रमार्थियों के लिए एक ढाबा चला रहा है जिसमें मात्र बीस रुपए में एक यात्री को भोजन कराता है जहां हजारों की संख्या में यात्री बिना संकोच भोजन कर रहे हैं। यहीं से ज्ञात हुआ कि इस साल विशेष ब्रज चौरासी कोस की यात्रा होने के कारण बिछोर वासियों ने 29 जुलाई को मुहर्रम के दिन ताजिया निकालना भी स्थगित कर दिया, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न हो। तो यह भी है मेवात की एक तस्वीर।

संपर्क – 9785010072

मेवात के अनुभव

अशोक गर्ग

मेवात के बारे में हरियाणा के लोगों में कई तरह की गलतफहमियां हैं। अशोक गर्ग, आई.ए. एस. का गुडगांव में मार्केटिंग बोर्ड की नौकरी के दौरान मेवात से बहुत ज्यादा संपर्क रहा। मेवात के जनजीवन के बारे में अशोक गर्ग के साथ प्रोफेसर सुभाष सैनी, संपादक देस हरियाणा के साथ संवाद के आधार पर प्रस्तुत है यह आलेख - सं.

आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि मेवात में 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। लगभग 10% लोग हिंदू हैं, लेकिन उसके बावजूद सां प्रदायिक सद्भाव बहुत अच्छा है। वहां पर सांप्रदायिक दंगे न के बराबर हैं। आज भी नहीं है। पहले भी नहीं थे।

मैंने गांव में जाकर जो 10% हिंदू परिवार हैं, उन लोगों से बातचीत की और अकेले में बात की कि आप लोगों को इनके साथ रहते हुए किसी तरह की कोई डर लगता हो जो अल्पसंख्यकों में होता है। किस तरह का व्यवहार है? उन 10% लोगों ने, जिनमें ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति के हैं। दलित जातियों से संबंध रखते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ यह सुनकर कि उनका कहना था कि हमें इनके साथ रहने में किस तरह कोई समस्या नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि छुआछूत या भेदभाव हिंदुओं के गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होता है। उन्होंने गर्व से कहा कि हमारे साथ ऐसा हम नहीं हो सकता।

जो 10% हिंदू परिवार हैं इनमें से लगभग 90% परिवार बिना जमीन के हैं। जमीन नहीं है और मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं। जो खेत मजदूर हैं वह ज्यादातर मुसलमानों की जमीन पर मजदूरी करते हैं और यह सिलसिला आज से नहीं सैकड़ों साल से चला आ रहा है।

गांव में जो दुकानदार हैं, जो गांव में दुकानदारी करते हैं, उनमें से 90% दुकानदार बनिए हिंदू हैं। लगभग हर गांव में इनसे मैंने बात की और उनके व्यवहार से देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई किसी तरह से दोयम दर्जे से रह रहे हों या गांव में उनका प्रभाव कम। मुझे तब यह नजर आया कि उन बनियों का अपने-अपने गांवों में उनकी संख्या के हिसाब से जितनी उनकी संख्या परिवारों की थी, उससे कई गुना ज्यादा प्रभाव उनकी बात को गांव के लोग, मुसलमान लोग भी और हिंदू लोग भी पूरी मान्यता देते हैं।

उसके बाद जो मंडियां हैं मेवात में जहां पर मेरा खूब आना जाना रहा है, उन मंडियों में 90% जो आढ़त की दुकानें हैं, वह हिंदुओं की हैं। इसमें बनिया और पंजाबी प्रमुख हैं। कुछ राजपूतों से होगा और जबकि मेवात के पूरे इलाके में जो 90% किसान हैं, वह मुसलमान हैं। यह एक बड़ी रेखांकित की जाने वाली बात है कि आढ़त की दुकानें 90% हिंदुओं की हैं और किसान 90% मुसलमान हैं। आढ़तियों से तो रुटीन में बात होती थी। उनका कहना है कि बाकी हरियाणा में जिस तरह का लेनदेन किसानों का है, आढ़तियों के साथ यहां पर उनका लेन देन का व्यवहार बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा है।

यह शिकायत जरूर थी यहां के अधिकारियों को कि मेवात के बारे में जो गलतफहमियां हैं उसकी वजह से हमारे बच्चों के रिश्तों में थोड़ी सी उनको नेगेटिव प्वाइंट लगता है। नहीं तो व्यापार के हिसाब से और किसानों के लेन देन के हिसाब से उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं है। कुल ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ है। क्राइम के हिसाब से वह बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि हमारी मंडी में कभी किसी भी तरह की चोरी, डकैती, कोई वारदात घर पर नहीं होती थी।

ये एक जो बहुत बड़ी भ्रांति है मेवात के बारे में या ज्यादातर मुसलमानों के बारे में है कि हर मुसलमान चार चार शादियां करता है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। पूरे मेवात में मुझे मिला कि एक गांव में चार-पांच परिवारों में ज्यादा एक से ज्यादा शादी। चार शादियों की तो बहुत दूर की बात है। एक शादी का जिस तरह से हमारे बाकी हरियाणा में रिवाज है उसी तरह से केवल एक शादी का रिवाज है और दूसरी शादी भी यदि होती है तो विशेष कारण होती है। या तो उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है। या महिला के पति की मृत्यु हो गई। जवानी में इस महिला को जिस तरह से हमारे यहां रिवाज से अपने देवर के साथ या जेठ के साथ इसको लत्ता उढ़ाना कहते हैं, उस तरह से उसको दूसरी शादी करनी पड़ी या कोई बेआसरा औरत है। उसके साथ शादी करनी हुई जगह अपनी मर्जी से और इच्छा से दूसरी शादी भी उसे पूरे मेवात में कहीं देखने को नहीं गया। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुसलमान चार शादियां करते हैं। मेवात के मामले में तो कम से कम पूरा झूठ।

एक अच्छी बात है। मेवात में शराब का प्रचलन बहुत कम है। हो सकता है इसमें इस्लाम का भी कुछ प्रभाव हो, लेकिन वहां की जो सोशल जो कल्चर है। उसमें शराब को पीना अच्छा नहीं माना जाता और इतना इतना कम है कि यदि कोई शराब पीता है तो चोरी छिपे देता है। वह शराब पीकर गली में निकल जाए, यह मेवात में सोचा नहीं जा सकता। जी हां, हुक्का-बीड़ी का प्रचलन खूब है। यह गांव नहीं शहर में सभी के पास है।

कमी है वहां के क्षेत्र की तो पढ़ाई बहुत कम है। मुझे लगता है साक्षरता दर शायद हिंदुस्तान के बिल्कुल पिछड़े जिलों के बराबर आती है। इसमें स्कूलों की भी कमी है। स्कूलों में टीचर्स भी कम हैं। और दूसरा शायद उनका अपना दृष्टिकोण था। पढ़ाई के प्रति वो भी ज्यादा अच्छा नहीं था। अब बहुत बदल रहा है। कुछ प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं। सरकारी स्कूलों में भी लोग थोड़ा डिमांड करने लगे हैं कि टीचर्स पूरे हों और उनकी राजनीतिक आवाज कम है। इस वजह से भी शायद शैक्षणिक सुविधाएं वहां पर कम हैं।

एक उनका सामाजिक जो पहलू है, महिलाओं की लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान बहुत कम देते हैं। और मुझे तो लगता है कि इस मामले में वह बाकी हरियाणा से और बाकी देश से पिछड़े हुए हैं। लड़कियों की शिक्षा उनको ज्यादा महत्त्वपूर्णआज भी नहीं लगती। हालांकि पहले से बहुत बदलाव है, लेकिन अब भी मेरे अंदाजा में 30-40% लड़कियां आठवीं क्लास से पहले स्कूल छोड़ देती हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस पर एक चिंताजनक बात।

महिलाओं के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, जिस तरह का बाकी हरियाणा में है, उसी तरह का है। महिलाओं को जैसे बाकी हरियाणा में मुझे तो लगता है कि बराबरी का हक नहीं है, मेवात में भी नहीं है और मेवात में भी परिवार में या समाज में महिलाओं को काफी दबकर

रहना पड़ता है। बराबरी का हक नहीं है, बल्कि पूरे मेवात की सामाजिक-राजनैतिक परिवेश है उसमें महिलाओं की उपस्थिति न के बराबर है। जिस तरह से बाकी हरियाणा में महिलाओं के साथ घर पर मारपीट होती है। इस मामले में मेवाती हमारे छोटे नहीं, बड़े भाई हैं। जहां भी महिलाओं के साथ पूरी मारपीट होती है।

क्राइम की जहां तक बात है यह एक बड़ी गलतफहमी है कि मेवात का पूरा एरिया वहां पर बहुत ज्यादा अपराध होते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मेवात में जो जघन्य अपराध हीनियस क्राइम है वो पूरे हरियाणा में सबसे कम। जो मर्डर है, कत्ल जो है। मेवात में पूरे हरियाणा में सबसे कम होते हुए चोरी चकारी की खासतौर से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन जो ऑर्गनाइज्ड गैंग क्राइम के खिलाफ है, वह भी मेवात में बाकी हरियाणा से बहुत कम होगा है।

आर्थिक तौर पर मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। उद्योग न के बराबर हैं। लगभग सारी जनसंख्या खेती पर या छोटे व्यापार पर निर्भर है और खेती पर निर्भर है। उनके लिए समस्या है कि पानी की।टैंकर मंगवाकर खरीदते हैं, जो खेती तो उसके बाद की बात है। इसलिए पानी न होने की वजह से उद्योग धंधे न होने की वजह से जबरदस्त गरीबी है। बेरोजगारी जैसे बाकी हरियाणा में है, उसी तरह से यहां का नौजवान बिल्कुल बेरोजगारी से लड़ रहा है। कोई साधन नहीं है उसका। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मेवात का नौजवान इस बात से चिंतित है कि मेवात लगातार पिछड़ रहा है। इसलिए वह शिक्षा के प्रति सजग है और उसमें बेचैनी है कि हम लोग आगे कैसे बढ़े।

परिवार और महिला की आजादी

अनुवाद – सोनिया

इस लेख का अनुवाद 'लोकायत' द्वारा प्रकाशित मराठी पुस्तिका ''अभिव्यक्ति' से किया गया है।

सवालों की मर्यादा से बाहर मत जाओ गार्गी
वरना सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा

ऋषि याज्ञवल्क्य ने जनक राजा के दरबार में शास्त्रार्थ के दौरान विदुषी गार्गी को इस तरह धमकी दी थी।

जब महिला स्वतंत्रता की बात शुरू होती है हमें सुनने को मिलता है कि "तुम तो परिवार तोड़ने निकले हो", अगर "महिला आजाद हुई तो आदमियों का क्या होगा?", "फिर घर का काम कौन करेगा?", "इससे तो पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी"। महिलाओं की आजादी व आत्मनिर्भरता के सवाल पर समाज की यही सोच है। जिस समाज में प्राचीन काल से ही प्रचलित हो कि (न स्त्री स्वतंत्रम अर्हति- मनुस्मृति) स्त्री स्वतंत्र के लायक नहीं है, जिस समाज में अकेली घर से बाहर जाने पर महिला को 'चालू' और 'चरित्रहीन' समझा जाता है, उस समाज से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वहां महिलाओं की 'आजादी' तथा 'स्वतंत्रता' जैसी शब्दों का स्वागत हो सकता है? जिस महिला को मनु ने 'ताड़न के अधिकारी' कहा है, उसकी मुक्ति? तौबा तौबा, घोर कलयुग है! दुनिया किस ओर चल पड़ी है? महिला स्वतंत्रता का सवाल शास्त्रार्थ का विषय नहीं है, वह शास्त्रार्थ की सीमा है।

लेकिन यह भी सच है कि समय बदल गया है। वर्तमान समाज बदलाव के एक दर्दनाक दौर से गुजर रहा है। यह दौर गार्गी और याज्ञवल्क्य का नहीं है। आज ऋषि याज्ञवल्क्य के फतवों को समाज में मान्यता नहीं मिलेगी। महिलाओं की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के

देस हरियाणा

बारे में अब मनस्मृति के श्लोकों पर आधारित शास्त्रार्थ से निर्णय नहीं होंगे। पुराने जमाने की असमानता और अन्याय पर आधारित व्यवस्था पर आज अनेक सवाल खड़े हो चुके हैं। महिलाएं भी परंपरागत बंधनों से बाहर आकर अपनी पहचान बना रही हैं। घर की दहलीज पार कर खुली दुनिया में हर तरह का काम वह सफलतापूर्वक करती हैं।

दूसरी तरफ, इस समाज द्वारा इस बदलाव को रोकने के प्रयास जारी हैं। समाज में महिला का स्थान कितना ही ऊँचा हो, जितना भी सम्मान हो लेकिन पारिवारिक ढांचा उसके उस स्थान को स्वीकार नहीं करता। इसके विपरीत उसका घर से निकलकर आत्मनिर्भर होने पर सवाल किया जाता है जैसे कि – अगर वह घर नहीं रहेगी तो घर के कामकाज कौन करेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? बाहर अन्य पुरूषों के साथ उठने-बैठने पर उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं आदि। प्रसार माध्यमों द्वारा भी यही दिखाया जाता है कि शादी करना ही महिला की जिदंगी का मकसद है। यह प्रचार किया जाता है कि स्वतंत्र महिला मतलब बेपरवाह और गैर जिम्मेदार, नौकरी करने वाली महिला के पास पति और बच्चे व घर न होने से वह कितनी लाचार और असहाय हैं। इस तरह के प्रचार-प्रसार से पिछड़े व पुराने सामाजिक विचारों को मजबूती मिलती है।

अब समय आ गया है कि महिला स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता को गलत व अनैतिक मानने वाली पिछड़ी सोच को और पुराने पारंपरिक मूल्यों को चुनौती दी जाए और अपने पूर्वग्रहों को किनारे कर ऐसी सामाजिक धारणाओं और शंकाओं को तर्क की कसौटी पर परखा जाए। यह एहसास कराना आवश्यक है कि महिला भी एक इंसान है। समाज में अपनी भूमिका तय करने व उसे निभाने का पूर्ण अधिकार उसे है। बदकिस्मती से अपने समाज ने महिलाओं के इस अधिकार को नकार दिया है। महिलाओं में मौजूद गुणों का विकास करने

की स्वायत्तता व स्वतंत्रता नहीं देने के कारण समाजिक विकास सिकुड़ गया है, क्योंकि इस समाज ने समाज की आधी आबादी की मौलिक योग्यता और क्षमता का विकास होने ही नहीं दिया, इसका उपयोग करना तो दूर की बात है।

परिवार एक कैदखाना है

समाज में महिलाओं की भूमिका परिवार तक ही सीमित है। लड़की के बड़े होते ही उसे घर से बाहर जाकर खेलना हो, गाना या नाचना सीखना हो तो डांटकर कहा जाता है कि रसोई में जाकर मदद कर, बाहर जाकर खेलने से ज्यादा यह सीखना ज्यादा जरूरी है। बड़ी होने पर जब उसकी शादी होते ही घर से बाहर के कामकाज की जिम्मेदारी आदमी की होती है और घर के सभी काम- रसोई, झाड़ू-पोछा, कपड़े धोना, बच्चों की देखबाल करना आदि की जिम्मेदारी महिला की होती है। घर के सभी काम करते हुए भी घर से बाहर जाकर नौकरी कर आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले उसे परिवार से ही संघर्ष करना पडता है। "अपने घर में किस चीज की कमी है कि तुम्हें नौकरी करने जरूरत महसूस हो रही है?", "आदमी के होते महिला कमाने लगेगी क्या"! उसके घर से बाहर जाकर नौकरी करने की बात को परिवार प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर उसे निरुत्साहित करता है।

महिला अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं बना पाती। वह किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की मां के रूप में ही पहचानी जाती है। सास-ससुर, ननंद, देवर, पति, बच्चे, यही उसकी दुनिया होते हैं और यही उसका अस्तित्व। उसे इस दहलीज को पार करने की इजाजत नहीं है। उसके तमाम सुख-दुःख इसी घेरे में घूमते हैं।

परिवार के इस कैदखाने में महिलाओं पर अनंत अत्याचार होते हैं। महिलाएं अपने पति को मालिक, स्वामी, पति-परमेश्वर आदि नाम से संबोधित करती हैं। जिससे पता चलता है कि घर में उनका स्थान क्या होगा और उनकी वस्तुस्थिति क्या होगी। घर की चार दिवारी में महिला पुरुष की दासी होती है और पुरुष उस पर शासन करने वाला निरंकुश शासक होता है। महिला को अपनी दासी समझ उस के साथ मारपीट करना, बीमारी के समय में भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उस के साथ बलात्कार करना, बिना कारण घर से बाहर निकाल देना, जब मन करे दूसरी शादी रचा लेना आदि जैसे आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार हो। सारे धार्मिक ग्रंथ पुरुषों की इस क्रूर सत्ता को अधिकार देते हैं और घोषित करते हैं कि पति परमेश्वर की सेवा करना ही महिला का धर्म है। भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, मारपीट, अपमान, घर से बाहर निकाल देना आदि तमाम हिंसा को महिला मजबूरी से सहन करती हैं। इस तरह की असंख्या हिंसा परिवार की इज्जत, मर्यादा, घर की प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए उसे विवश करते हैं। यह अत्याचार एक के बाद एक होते दिखाई देते हैं। समाज में भी असमानता, अत्याचार

आम बात हो गयी है। ऊपर से यह भी एक पति अपनी पत्नी पर कितने ही अत्याचार व अन्याय करे लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती। इसके कई उदाहरण मिलेंगे जहां एक जवान महिला को दहेज के लिए क्रूरतापूर्वक मार दिया जाता है फिर भी समाज चुपचाप देखता रहता है और उस गुनाह को निर्लज्जता के साथ दबाने की कोशिश करता है।

सामाजिक स्वीकृती से परिवार के पुरुषों ने इसी निरंकुश सत्ता से कितनी ही लड़कियों के सपनों को पाँव तले कुचल दिया है। उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है, हंसने-खेलने, पढ़ने-लिखने की उम्र में शादी कर दी जाती है और किसी अंजान आदमी के गले में बाँध दिया जाता है। यह निर्णय उसके मां-बाप या भाई लेता है जिसके कारण उसे चुपचाप सहना पड़ता है। अपनी जिंदगी के महत्त्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार महिला को नहीं होता। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता आया है। उसने बचपन से ही यह सब होता हुआ देखा है। परिवार के कैदखाने के अंदर की सुरक्षा का कीमत उसे अपनी स्वतंत्रता की आहुती देकर चुकानी पड़ती है। सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ जाकर कोई लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी करती है या अंतरजातीय विवाह करती है तो परिवार में ही उसे क्रूरतापूर्वक मार दिया जाता है और पूरा समाज और पंचायत उस परिवार के साथ खड़े होते हैं। जब इस प्रकार के क्रूर अपराधियों को बचाने के लिए समाज को मौन खड़ा देखते हैं तो लगता है कि समाज इन पारिवारिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

लेकिन क्या मौजूदा परिवार के इस स्वरूप को मान्यता देना उचित है? क्या इसे आदर्श परिवार कहा जा सकता है? इस प्रकार के परिवार को मान्यता देने का मतलब मूलभूत असमानता और निरंकुश सत्ता का समर्थन करना होगा। इतिहास कहता है कि परिवार हमेशा से नहीं था। प्राचीन मानव समाज में, आधुनिक समाज व्यवस्था के अस्तित्व में आने से पहले हजारों साल समाज समतावादी था। महिलाएँ परिवार की मुखिया होती थी, सामुदायिक आर्थिक, सामाजिक जीवन में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती थी। जैसे-जैसे संपत्ती और सत्ता पुरुषों के हाथ में आती गयी, वैसे-वैसे महिलाएँ सर्व सामाजिक अधिकारों से वंचित होती गई और घर की चार दिवारी में कैद कर दी गई। इस प्रकार परिवार के अंतर्गत पितृसत्ता का उदय हुआ जिसमें महिला एक गुलाम की भूमिका में चली गई।

परिवार: समाज का एक महत्त्वपूर्ण घटक

भारत में परिवार की पुरानी सामंती संरचना आज भी ज्यों की त्यों मौजूद है। परिवार के इस कैदखाने से महिला की मुक्ति होनी ही चाहिए। उसकी जगह एक-दूसरे का आदर, समानता और सच्चे प्यार पर आधारित नए परिवार की स्थापना अनिवार्य है। जब विवाह दो दिलों

का मिलन होगा, जब प्यार दो लोगों के आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित एकघनिष्ठ रिश्ता है तो उसमें असमानता और निरंकुशता के लिए स्थान ही नहीं होगा।

महिला-पुरुषों के बीच पूर्ण समानता, दो लोगों के बीच आपसी सम्मान, प्यार और विश्वास पर आधारित परिवार में ही एक अच्छा नागरिक पैदा हो सकता है। परिवार लड़की या लड़के का पहला स्कूल होता है। स्कूल में जाने से पहले बच्चे अपने मां-बाप, रिश्तेदारों से सही-गलत बाते सीखते हैं। वह अच्छे नागरिक बनेंगे या नहीं यह उनके घर का माहौल, मां-बाप की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर, उनके बच्चों की देखभाल का तरीका, बच्चे को बचपन से मिले संस्कारों पर निर्भर होता है। लड़का-लड़की को समानता, न्याय, ईमानदारी, मेहनत, स्वाभिमान, तर्कशीलता, परोपकार और मानवप्रेम के आदर्श सिखाने वाले, उन्हें आत्मविश्वास देकर नेतृत्वकारी गुणों से संपन्न करने वाले, उन्हें स्वतंत्र विचारों वाला एक नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाले परिवार को ही आदर्श परिवार कहा जा सकता है। परंतु एक गुलाम और अशिक्षित मां से इसकी अपेक्षा कैसे किया जा सकता है? और निरंकुश सत्ता के शासक एक अहंकारी बाप भी यह कर सकता है क्या? निश्चित ही नहीं कर सकता! जिस घर में असमानता और पुरुषप्रधान सत्ता प्रतिष्ठित होगी, उस घर में मां गुलाम होगी, वह परिवार अंधविश्वास और रूढ़ीवादी परंपरा वाला होगा, हर बात में अपने पति पर निर्भर होगी, जिसे खुद के आत्मविश्वास और स्वाभिमान की पहचान नहीं होगी, हर दिन पति से अपमानित होती होगी और बाप अहंकार की साक्षात मूर्ती होगा, जिस घर में समानता और तर्क के लिए कोई जगह नहीं होगी और जहां आदेशों के पालन किए जाते होंगे, ऐसे परिवार में समानता, स्वाभिमान, न्याय और तर्कसंगत विचारों के संस्कार कैसे निर्माण हो सकते हैं? केवल एक सुशिक्षित, स्वतंत्र, आत्मविश्वासपूर्ण, सुसंस्कृत और स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली मां ही अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकती है। एक सुखी और न्यायिक समाज तभी बनेगा जब इस समाज की आधी आबादी मतलब महिलाए स्वतंत्र होंगी।

ओच्छी मानसिकता को त्यागो

दुर्भाग्य से हमारे समाज में अंधिकांश लोग परंपरा के नाम पर पुरानी मान्यताओं और मूल्यों से चिपके हुए हैं और असमनता तथा पितृसत्ता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब उन्हें पुरानी परिवार व्यवस्था की जगह नई परिवार व्यवस्था का आना स्वीकार नहीं है। किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं है। महिला स्वतंत्रता के नाम पर शोर करने वाले यही लोग, महिलाओं को घर से बाहर काम करना अपनी प्रतिष्ठा का अपमान समझते हैं। वह महिलाओं को परिवार की संपत्ती, घर में सजाकर रखने वाली चीज, खानदान को आगे

बढ़ाने वाले वंश को पैदा करने वाली मशीन और केवल आदमी की उपभोग के लिए रखी एक शरीर से ज्यादा कुछ नहीं समझते।

ऐसे लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि बदलते दौर और जनवादी समाज में पितृसत्ता और असमानता पर आधारित रिश्ते लम्बे समय तक नहीं टिकते। भारत में भी पितृसत्ता के खिलाफ महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू कर चुकी हैं। महिलाओं ने जब समानता की, समान अधिकार की लड़ाई शुरू की तब इन्हीं रूढ़ीवादियों ने यह शोर मचाकर महिला आंदोलन को बदनाम किया कि परिवार खतरे में है और समाज खराब हो रहा है। वास्तव में यह पूरी तरह झूठ है! आइए उनेक मुख्य आरोपों की जांच करें।

पहला, अगर महिलाएं अपने अधिकारों का दावा करने लगेंगी तो पारिवार टूटने के मामले बढ़ जाएंगे। इसके विपरीत अगर महिला को अपने अस्तित्व की पहचान होने लगती है तो परिवार के अंदर शुरूआत में थोड़ बहुत तनाव होने के बावजूद प्रत्यक्ष रूप से परिवार के रिश्ते-नाते, पति-पत्नी, बाप-बेटी के बीच जनवादी रिश्ते बनेंगे और परिवार अधिक अधिक सुदृढ़ होने लगते हैं।

दूसरा, गहराई से देखा जाए तो समझ आता है कि जो लोग महिलाओं की स्वतंत्रता को परिवार तोड़ने का दोषी मानते हैं वे लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि अधिकतर परिवार तोड़ने वाले पुरुष ही होते हैं। लड़का पैदा नहीं किया तो महिला का अपमान करना और उसे छोड़कर दूसरी बीवी लेकर आना – क्या इसे घर तोड़ना नहीं मना जाएगा? बांझ या फिर लड़की पैदा करने वाली पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी लाना – क्या इसे घर तोड़ना नहीं कहा जाएगा? नशेड़ी पति अपने जिम्मेदारियों से भागकर वासना की लत लगाता है, यही नहीं तो दूसरी पत्नी (रखैल) रखता है – क्या इसे घर तोड़ना नहीं कहा जाएगा? अपने बच्चों की देखरेख न करने वाले शराबी पति के अत्याचारों को चुपचाप सहन करने के उपदेश दिए जाते हैं – इन्हें परिवार तोड़ना नहीं कहा जाएगा? यह सब समाज तर्कहीन रूप से पत्नी को टूटे हुए परिवार को बचाने के लिए और एक न एक दिन पति के सुधर जाने के आशा पर जीने की सलाह देता है। महिला जैसे ही अपने पैरों पर खड़े होने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की बात करती है तो उनकी परिवार व्यवस्था की सुरक्षा को खतरा हो जाता है।

'सौतन' या 'रखैल' हमारी शब्दावली में पुरुषों के लिए समानार्थी शब्द नहीं हैं; क्योंकि हमारे समाज में पुरुष ही सालों से ऐसे घिनौने काम करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। महिलाओं को जब समाज में समान अधिकार प्राप्त होगा और वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तब समाज में अराजकता नहीं फैलेगी या परिवार नहीं टूटेंगे; उल्टा, पुरुषों के मनमानी पर अंकुश लगेगा। पुरुषों को अपनी पत्नी के साथ एकनिष्ठा से रहना पड़ेगा,

क्योंकि अब अगर वह एकनिष्ठा से नहीं रहेगा तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला में छोड़ने की क्षमता व आत्मविश्वास होगा। पति-पत्नी के बीच का रिश्ता, आपस का प्यार, आदर और विश्वास पर टिका होगा। इस तरह धीरे-धीरे 'सौतन' या 'रखैल' जैसे शब्द समाज से समाप्त होते जाएंगे।

नौकरी करने वाली, स्वतंत्र महिला घर के काम या बच्चों को पालने-पोषने में ध्यान नहीं देती, यह तथ्य भी बेबुनियाद है। प्रत्यक्ष रूप से परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरित है। हम प्रत्यक्ष रूप से क्या देखते हैं? आज कोई छात्रा हो या नौकरी करने वाली एक महिला अपनी पढ़ाई या नौकरी के साथ-साथ घर के सभी काम, बच्चों को संभालने की जिम्मादारियां अच्छे से निभाती हैं। पर उसी घर में अगर एक बेरोजगार आदमी होगा तो वह घर के काम में कोई मदद नहीं करता। जो आदमी थोड़ा-बहुत घर के काम करते हैं, उन्हे 'पत्नी के इशारों पर नाचने वाले पतियों' के नाम से समाज में मजाक उड़ाया जाता है।

संक्षेप में कहा जाए तो महिलाओं की स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता के बारे में किये जाने वाली संदेह पुरुष-प्रधान मानसिकता से निर्मित है और जीवन की वास्तविकता से इसका कोई मेल नहीं है।

समाज को महिलाओं की स्वतंत्रता के सवाल पर एक संतुलित दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। अगर हमे लगता है कि अपने देश के भावी नागरिक आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और समानता के संस्कार लेकर बड़े हों; हजारों साल से चले आ रहे अंधविश्वासों, पुराने मूल्यों और सड़े-गले विचारों से बाहर निकलकर अपने देश को विकसित और सशक्त बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप ते हमे महिलाओं को स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और मजबूत बनाकर अपनी पारिवारिक व्यवस्था में काफी हद तक सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए हर सामाजिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, महिलाओं को शिक्षित करना होगा, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रेरित करना होगा, उन्हें शिक्षा व रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने होंगे। वर्तमान में महिलाओं पर लदे गृहकार्य और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों को विभाजित किया जा सकता है। पुरुषों को इस काम में समान हिस्सेदारी लेने के लिए प्रेरित करना होगा। साथ ही, नर्सरी, आंगनबाड़ी, खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल, छात्रावास और छोटे बच्चों के लिए महिलाओं के कार्यस्थलों पर नर्सरी (जहां मांए उनकी देखभाल कर सकती हैं और जरूरत अनुसार उन्हे स्तनपान करा सकती हैं), स्वच्छ और स्वस्थ सामाजिक रसोई का निर्माण कर महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का किया जा सकता है। इस प्रकार यदि संपूर्ण समाज महिलाओं की स्वतंत्रता, स्वावलंबन के प्रति जागरूक हो जाए तभी महिलाओं को वास्तव में स्वतंत्रता मिल सकती है।

मलबे के नीचे

विकारग्रस्त समाज की सर्जरी

अरुण कुमार कैहरबा

प्रख्यात सर्जन, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक डॉ. रणबीर सिंह दहिया का उपन्यास मलबे के नीचे हरियाणा की सामाजिक व्यवस्था की सर्जरी करने का सफल प्रयास है। उपन्यास स्वास्थ्य-व्यवस्था, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों के आपसी संबंधों, नर्सों के जीवन और समस्याओं को यथार्थपरक ढ़ंग से उजागर करता है और व्यापक सामाजिक बदलाव के लिए मानवीय रिश्तों और आंदोलनों की भूमिका को स्थापित करता है। बेहतर समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करने की जरूरत रचना का मूल संदेश है।

बदलाव की सोच रखने वाला डॉक्टर रमेश और बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए नर्स बनने वाली उपमा उपन्यास के मुख्य किरदार हैं। इन दोनों के मौजूदा स्थिति तक पहुंचने की कहानी को बहुत ही दिलचस्प तरीके से वर्णित किया गया है। उनके विचारों में क्रांतिकारी बदलाव लाने में साहित्य और संघर्ष महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे प्रेरित होते हुए और आत्मसंघर्ष की प्रक्रिया से गुजरते हुए वे बदलाव के लिए कार्य करते हैं। दोनों शहीद भगत सिंह के विचारों और भावना से लैस हैं। हरप्रीत को बार-बार याद आने वाले उपमा द्वारा कहे शब्द हैं-जो लोग निर्भीक होकर मौत को चुनौती देते हैं, मौत की आँखों में आँखें डालकर उसे ललकारते हैं, उनकी मौत आम आदमी की मौत नहीं होती है..ऐसे लोगों की मौत अच्छे जीवन के लिए संघर्ष करने वालों के वास्ते एक मिसाल बन जाती है।

पुस्तक : मलबे के नीचे, लेखक : डॉ. रणबीर सिंह दहिया

प्रकाशक : हरियाणा विज्ञान मंच, रोहतक, पृष्ठ-156, मूल्य : रु. 150.

बीसवाँ कोड़ा

हरभगवान चावला

अपने पालतू सफ़ेद कबूतर का पीछा करते हुए राजकुमार कब छोटी रानी के महल में दाख़िल हो गया, उसे पता ही नहीं चला। रानी के महल में राजा के अलावा किसी परिंदे को भी घुसने की इजाज़त नहीं थी, पर यहाँ तो परिंदा ही नहीं, परिंदे का मालिक राजकुमार भी महल में घुस आया था।उस समय रानी वस्त्र बदल रही थी। राजकुमार को रानी के महल में घुसने का दोषी पाया गया। अब वह दोषी था तो सज़ा मिलना भी तय था; लेकिन एक तो राजकुमार, ऊपर से नाबालिग! सो तय किया गया कि राजकुमार को प्रतीकात्मक सज़ा दी जाएगी। हूबहू राजकुमार जैसा रुई का एक पुतला बनाया गया और उस पुतले को बीस कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। दरबार में सज़ा देने का सिलसिला आरम्भ हुआ। एक सिपाही जाता, एक कोड़ा मारता, फिर दूसरा जाता, दूसरा कोड़ा मारता। इस तरह उन्नीस कोड़े पूरे हो गए। इस बीच सारे तमाशे को देखता हुआ राजकुमार ख़ामोश बना रहा। कभी उसकी आँखों से कोई आँसू टपक जाता, तो कभी किसी को बहुत धीरे से कोड़ा मारने की रस्म पूरी करते देख उसे हँसी आ जाती। अब बीसवाँ कोड़ा बचा था। एक सिपाही ने पुतले को कोड़ा मारा। पर यह क्या? पुतले पर कोड़ा पड़ते ही राजकुमार की चीख निकल गई और वह दर्द से बिलबिलाकर दोहरा हो गया। सारे दरबारी हैरान होकर देख रहे थे। राजकुमार की पीठ पर एक धारी थी, जिसमें से लहू रिस रहा था। वज़ीर कुछ देर ध्यान से देखता रहा। उसे सारा माज़रा समझ में आ चुका था। उसने उस सैनिक को बुलाया और गरज कर कहा, " सज़ा के तौर पर कोड़ा मारना तुम्हारा कर्त्तव्य था, पर तुम्हारे मन में गहरा द्वेष भरा था । इसीलिये कोड़ा सीधे राजकुमार की पीठ पर पड़ा और उनकी पीठ पर इतना गहरा घाव हो गया। बताओ, राजकुमार से तुम्हारी क्या व्यक्तिगत शत्रुता है? जल्दी बोलो, वरना सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सिपाही ने इधर-उधर देखा। सारे सिपाही सर झुकाए खड़े थे। उसने इत्मीनान से वज़ीर की आँखों में आँखें डालकर कहा," मेरी राजधानी में युवाओं को बैल की जगह कोल्हू में जोता जाता है और जब कोई युवा कोल्हू को खींचते हुए बेदम होकर साँस लेने के लिए रुकता है तो उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। कोल्हू में जुतने वाले युवाओं में एक मेरा भी बेटा है। वह रोज़ शाम को जब घर आता है तो उसकी पीठ पर मैं धारियाँ देखता हूँ जिनमें से लहू रिस रहा होता है। आज जब मैंने राजकुमार के पुतले पर कोड़ा बरसाया तो बरबस मुझे अपने बेटे की पीठ याद आ गई थी।"

सामाजिक कार्यकर्ता स्वतंत्रता समता बंधुता के मूल्य अपनाएं

गुंजन कैहरबा

नेतृत्व एवं जनसंवाद विषय पर कार्यशाला का आयोजन, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने समाज में समता व बंधुता स्थापित करने का लिया संकल्प

सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वैच्छिक समाजसेवी भावना के साथ काम वाले लोगों की संख्या वैसे तो तुलनात्मक रूप से कम है। लेकिन उनकी उपस्थिति और उनके कार्य बेहद महत्त्वपूर्ण होते हैं। स्वार्थपरता और प्रतिस्पर्धा के दौर में वे लोग सेवा व समर्पण की मिसाल कायम करते हुए नई दिशा देने का कार्य करते हैं। वे समाज, संस्कृति व पर्यावरण की समस्याओं की पहचान करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाते हैं। अपनी सोच और विचारों के अनुसार वे छोटे-छोटे समूहों का निर्माण करते हैं। समान सोच के लोग उन संगठनों के साथ जुड़ते हैं और छोटे-बड़े दायरों में काम करते हैं। अलग-अलग गांव में काम करने वाले ऐसे समूह यदि एक साथ आ जाएं तो वे कमाल का काम कर सकते हैं। ऐसे संगठनों और उनमें काम करने वाले युवाओं की नेटवर्किंग को मजबूत करने और उनकी क्षमता का संवर्धन करने के लिए स्वतंत्रता समता

बंधुता मिशन लगा हुआ है। जनसंवाद और नेतृत्व विकास की कार्यशालाओं के माध्यम से यह काम किया जा रहा है।

दिनांक 16 अप्रैल, 2023 को करनाल जिला के इन्द्री खंड के गांव नन्हेड़ा स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला में ऐसी ही जन संवाद और नेतृत्व विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक शिक्षा मंच जोहड़ माजरा, शहीद सोमनाथ स्मारक समिति, हरियाली युवा संगठन, शहीद उधम सिंह नाटक मंच हलवाना, बाल संगम मंच, शहीद भगत सिंह नाटक टीम, आदर्श युवा मंडल धनौरा जागीर, बुलबुल नाटक मंच कैहरबा, भीमराव आंबेडकर आदर्श समाज समिति कलरी खालसा व निफा के प्रतिनिधि पदाधिकारियों ने हिस्सेदारी की। कार्यशाला में मिशन के राष्ट्रीय संयोजक एवं देस हरियाणा के सम्पादक डॉ. सुभाष चन्द्र ने संगठनों का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला का संचालन देस हरियाणा के सह-संपादक अरुण कुमार कैहरबा ने किया। कार्यक्रम का संयोजन शहीद सोमनाथ स्मारक समिति से जुड़ी गुंजन और हरियाली युवा संगठन की महिला प्रधान नीरू देवी ने संयुक्त रूप से किया।

डॉ. सुभाष चन्द्र ने अपने संबोधन में कहा कि सामाजिक दायरों में एक समाजसेवी वे हैं जोकि आपदा के समय लोगों को राहत पहुंचाने जैसे काम करते हैं। दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता व्यापक बदलाव के लिए काम करते हैं। बदलाव की सबसे मूलभूत विशेषता यह है कि जमीन पर बदलाव उतरने से पहले दिमाग में होता है। हमारी सोच में और सोचने के तरीकों में होता है। हम समाज में काम करते हैं तो सवाल पैदा होता है कि हम क्यों काम कर रहे हैं। कई बार समाज में बहुत मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले साथी भी कहते हुए पाए जाते हैं कि वे स्टेज पर बोल नहीं सकते। स्टेज पर आते हुए संकोच होता है। खड़ा होकर बोलते हुए शब्द ही नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि कोई भी परिवर्तन विचारों के जरिये ही आता है। कहा भी जाता है कि बात करने से ही बात बनती है। तो सामाजिक दायरों में काम करने वाले सभी साथियों के लिए आवश्यक है कि अपनी बातचीत करने के तरीकों को निखारें। आपस में बातचीत करते हुए बातचीत के कौशल को सुधारने की जरूरत रेखांकित हुई और इस कार्यशाला की रूपरेखा तैयार की गई।

डॉ. सुभाष चन्द्र ने कहा कि भारत की आजादी और संविधान लिखे जाने का लंबा संघर्ष और इतिहास है। 1857 में शुरू हुई आजादी की लड़ाई में अनेक नेता उभरे। अनेक विचारधाराओं से जुड़े लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। शहीद भगत सिंह, डॉ. भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना सहित कितने ही लोग अपने-अपने विचार और कारणों से आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। लंबे संघर्षों के बाद आजादी मिली। संविधान लिखा गया। स्वतंत्रता, समता और बंधुता उन संघर्षों का निचोड़ है। समाज

के विकास के लिए ये मूल्य अनिवार्य हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये मूल्य समाज में पूरी तरह से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में विभिन्न संगठनों का एक मकसद इन मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए। यह सबका सांझा काम है। संविधान के मौलिक कर्तव्यों में भी वैज्ञानिक चेतना व पर्यावरण संरक्षण आदि बातों का शामिल किया गया है। संविधान के मूल्य ही हमारे सब कामों की कसौटी हैं। इन मूल्यों के साथ तर्कसंगति स्थापित करके हम अपने काम को और अधिक निखार सकते हैं। यदि कोई काम समता की तरफ नहीं जा रहा है और भेदभाव को बढ़ावा देता है तो वह काम हमारे संविधान की तर्कसंगति में नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों, विषयों व व्यक्तित्वों पर संगोष्ठी का आयोजन करते हुए अक्सर हमारे सामने समस्या आती है कि वक्ता कौन होगा? 15-20 वर्षों से सामाजिक कार्य करने वालों को हम वक्ता के रूप में या तो मान्यता ही नहीं देते हैं या फिर उन्होंने अपने भीतर वक्ता की क्षमता ही पैदा नहीं की कि उन्हें वक्ता के रूप में मान्यता दी जाए। ऐसे में हम वक्ताओं को ढूंढ़ते फिरते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि वक्ता भी हमारे यहीं से हो। हम वक्ता तैयार करें। हमारे बीच में कई ग्रेजुएट हैं। साहित्य भी मौजूद है। फिर भी आखिर हम किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को नहीं क्यों नहीं जानते हैं और या फिर आखिर क्यों हममें उसे व्यक्त करने का हौंसला नहीं होता है।

एसोसिएट प्रो. धमेन्द्र फुले, डॉ मंजू देवी, मा. जसविन्द्र पटहेड़ा, महिन्द्र खेड़ा, दयाल चंद जास्ट, मान सिंह, नरेश मीत, धर्मबीर लठवाल, सूरज भान, केहर सिंह, नीरू, सुनील, विवेक, अंजलि, रजनी, चक्षु, नवीन, राजेन्द्र कुमार, राजेश, अली बाबू, शालू, आंचल, यश्वनी, अमन, बलदेव राज, कैलाश चन्द, सुशील धनौरा, सार्थक सहित सभी प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए। युवा प्रतिभागियों द्वारा खड़े होकर अपने विचार व भावनाएं व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वे निरंतर नेतृत्व के कौशलों का अभ्यास करेंगे।

किसी नारी ने आज तक यदि किसी धर्म किताब की रचना की होती तो पुरुषों द्वारा सभी नारियों के अधिकारों के बारे में आपत्ति करके अपने पुरुष जाति के अधिकारों के बारे में वे बकवास न करते। क्योंकि नारियां यदि ग्रंथ लिखने योग्य होतीं तो पुरुषों ने इस तरह से उनका शोषण करके भेदभाव किया ही नहीं होता।

महात्मा जोतिबा फुले

शिक्षा, संगठन व संघर्ष

डॉ. अंबेडकर के विचारों का सार

जोहड़ माजरा गांव स्थित माता सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय व गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक शिक्षा मंच के द्वारा बाबा साहब डॉ. अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की वैचारिक विरासत विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में स्वतंत्रता समता बंधुता मिशन भारत के राष्ट्रीय संयोजक प्रो. सुभाष सैनी ने मुख्य वक्ता के रूप में विचार व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष डॉ. सुनील पंवार ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंच के अध्यक्ष कैलाश चंद जास्ट ने की। मंच संचालन हिन्दी प्राध्यापक अरुण कैहरबा व दयाल चंद जास्ट ने किया।

कार्यक्रम की शुरूआत संस्कृतिकर्मी सुनील कुमार, प्रवेश व सौरभ ने गुरु रविदास की प्रसिद्ध रचना बेगमपुरा गाकर की की। प्रो. सुभाष सैनी ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर देश-दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से अर्थशास्त्र, कानून, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान सहित कई विषयों में गहन अध्ययन व शोध करते हैं। शूद्र वर्ण व महिलाओं की समानता के अधिकार व न्याय के मार्ग में बाधा बनी वर्ण व्यवस्था का

विश्लेषण करते हैं। डॉ. अंबेडकर महात्मा बुद्ध, संत कबीर व महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते हैं। उनकी वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए समाज में व्याप्त पाखंडों व अंधविश्वासों का पर्दाफाश करते हैं।

प्रो. सुभाष सैनी ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो में डॉ. अंबेडकर के विचारों का सार है। हमें यथास्थिति से निकलने और आगे बढऩे के लिए भाग्यवाद व धार्मिक कर्मकांडों की बेड़ियां तोड़नी होंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को आगे बढऩे के लिए ज्ञान व सत्ता को हासिल करने के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि यूरोप में भी महिलाओं को वोट का अधिकार हासिल करने के लिए कई-कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, जबकि भारत में महिलाओं व सभी देशवासियों को डॉ. अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान करके सबको मताधिकार दे दिया।

डॉ. सुनील पंवार ने सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। उन्होंने कहा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यहां पर शिक्षा व स्वास्थ्य का स्तर बहुत कमजोर था। महिलाओं की साक्षरता दर आठ प्रतिशत थी। धर्म और जातियों की लड़ाईयां थी। भूख और मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। आजादी के आंदोलन के साथ-साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना देश की तस्वीर बदलना था। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने संविधान निर्माण में समय की तमाम चुनौतियों का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के विचारों की विरासत को लेकर हमें आगे बढऩा होगा।

कार्यक्रम में अध्यापक नरेश सैनी, अशोक रंगा, धर्मेन्द्र, सुरेन्द्र दत्त सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। विद्यार्थी भावना सरोए, आरव, अवनी, प्रीति, रीतिक जास्ट ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुभाष सैनी की किताब- एक जलती मशाल सत्यशोधक महात्मा फुले का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. अंबेडकर सामाजिक शिक्षा मंच की तरफ से जोहड़ माजरा के राजकीय स्कूल के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंच ने देस हरियाणा से जुड़े धर्मेन्द्र, समाजसेवी वेद प्रकाश कांबोज, धनी राम जैनपुर, डॉ. ईशम सिंह जास्ट, नारायण दत्त, नीरू, पिंकी, पूनम, गुंजन, विभिन्न स्कूलों के अध्यापक महिन्द्र खेड़ा, सुभाष लांबा, नरेश सैनी, जसविन्द्र पटहेड़ा, मान सिंह चंदेल, नीटू बुढऩपुर, केहर सिंह, सेवानिवृत्त अध्यापक लालचंद, समाजसेवी अशोक रंगा व प्रशांत को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में सामाजिक शिक्षा मंच के कोषाध्यक्ष बलदेव सिंह, सचिव व पंचायत सदस्य रामफल डोडे, संयुक्त सचिव संजीव कुमार, सांस्कृतिक सचिव सुनील कुमार, सौरभ, विवेक जास्ट व राहुल व वंदना का योगदान रहा। दयाल चंद जास्ट ने शिक्षा मंच की तरफ से सभी का आभार जताया। कार्यक्रम के समापन पर सुनील व गुरमेज सिंह फौजी की अगुवाई में सभी ने राष्ट्रगान गाया।

जन संवाद की कसौटी - संवैधानिक मूल्य

अरुण कुमार कैहरबा

घरौंडा के गांव बरसत में स्वतंत्रता समता बंधुता मिशन भारत के तत्वावधान में नेतृत्व विकास एवं वक्तृत्व कौशल विकास पर आधारित की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देस हरियाणा, सृजन कला मंच, हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति, डॉ. भीमराव अंबेडकर विचार मंच, गढ़ी भरल, युवा प्रयास मंच गढ़ी भरल, शहीद भगत सिंह पुस्तकालय गुढ़ा, शहद भगत सिंह पुस्तकालय चौरा, महषि वाल्मीकि वेल्फेयर सोसायटी मुबारकाबाद के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में मिशन के राष्ट्रीय संयोजक प्रो. सुभाष सैनी ने शिरकत की। कार्यशाला का संयोज पंजाबी अध्यापक नरेश सैनी ने संयोजन किया। देस हरियाणा से जुड़े अरुण कैहरबा के नेतृत्व में सभी प्रतिभागियों द्वारा गाए गए विश्वास गीत के साथ कार्यशाला की शुरूआत हुई।

प्रो. सुभाष सैनी ने कहा कि समाज में सकारात्मक हस्तक्षेप करने के लिए जनसंवाद महत्त्वपूर्ण औजार है। एक जन संवादक के सामने संविधान में दिए गए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता व सत्य जैसे मूल्य

आदर्श हैं। ये मूल्य ही किसी भी वक्तव्य की कसौटी होते हैं। उन्होंने कहा कि जनसभा या फिर नुक्कड़ मीटिगों में जन संवाद करके लोगों को समझाना बेहद चुनौतिपूर्ण कार्य है। मौजूदा व्यवस्था में अपने ही लोगों को समझाना भी आसान कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंवादक को सबसे पहले यह तय करना होता है कि वह क्या कहना चाहता है। उसके बाद उसके सामने अपनी बात रखने के तरीकों या औजारों को तय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि जन संवादक को एक इतिहासकार, दार्शनिक, वकील, लेखक, पत्रकार व धर्मगुरु की तरह काम करना होता है। जिस तरह से एक इतिहासकार संदर्भ का निर्माण करता है व इतिहास की दृष्टि प्रदान करता है, उसी तरह से वक्ता को इतिहास के ज्ञान से संदर्भ लेने होते हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्ता दार्शनिक की ही भांति परिप्रेक्ष्य देता है। वह भविष्य की दिशा प्रदान करता है। समस्याओं के समाधान सुझाता है। भविष्य के प्रति आशा का संचार करता है। वक्ता वकील की तरह अच्छा केस बनाता है। विषय के पक्ष-विपक्ष के विचारों को दृष्टि में रखकर तर्क पेश करता है और विचार को सही दिशा प्रदान करता है। लेखक की भांति वक्ता अपने वक्तव्य में संवेदनशीलता व भावात्मकता का पुट प्रदान करता है, जिससे श्रोता विषय के साथ जुड़ जाते हैं। वक्ता को पत्रकार की भांति ही विवरण देने होते हैं और विषय का विश्लेषण करना होता है। डॉ. सुभाष चन्द्र ने कहा कि जन संवादक को धर्मगुरु की भांति ही श्रोताओं को नैतिक संबल व सांत्वना प्रदान करनी चाहिए। संकट में आम आदमी को स्नेह व सांत्वना की जरूरत होती है। जन संवादक अहंकार से ग्रस्त ना हो। उसे श्रोताओं या आम जनता को कोसने की बजाय उनमें आशा व उम्मीद का संचार करना चाहिए। उनमें उत्साह जागना चाहिए। ठेस पहुंचाने वाले शब्दों से तो हमेशा ही बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अच्छे जन संवादक को विषय से जुड़ा रहना चाहिए और भटकाव से बचना चाहिए।

प्रो. सुभाष सैनी के मुख्य वक्तव्य के बाद प्रतिभागियों को चार समूहों में बांटा गया और समूहों ने विषय पर विस्तृत चर्चा की। समूह चर्चा के बाद पहले समूह से किशोर कुमार, दूसरे समूह से सतीश कुमार, तीसरे समूह से योगेश शर्मा, चौथे समूह से जगतार सिंह ने चर्चा का सार व प्रतिभागियों के प्रश्न प्रस्तुत किए। किशोर कुमार ने जन संवाद की कसौटी, साहब सिंह व सतीश ने अपने लोगों को अपनी बात समझाने की चुनौतियों, योगेश कुमार ने अलग-अलग वर्ग के लोगों को एक ही वक्त में संबोधित करने की चुनौती और जगतार सिंह ने वक्तत्व के लिए आदर्श समय सहित विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य वक्ता प्रो. सुभाष सैनी ने समूह की प्रस्तुतियों और प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यशाला के दूसरे सत्र की शुरूआत में फूल कौर ने कबीर के दोहे गाकर सुनाए। डॉ. सुभाष सैनी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गांधी जी ने एक जंतर दिया था कि जो

चीज अंतिम व्यक्ति के हित में हो, वह ठीक होती है। जब तक न्याय नहीं होगा, तब तक शांति नहीं हो सकती। हमारा संविधान वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताता है। उन्होंने कहा कि विचार का निर्माण भाषा में होता है। यदि हम सोचते हैं कि विचार आ गया है, भाषा नहीं आई है तो हम गलत हैं। भाषा के साथ ही विचार आता है। उन्होंने कहा कि अपने परिवार व आस-पास के लोगों के सामने अपनी बात रखना और उसे मनवाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि जिससे हम बात कर रहे हैं, वह हमारे विचारों की बजाय हमारी स्थिति को देखने लगता है। उन्होंने कहा कि हमारे घरों में तो भयंकर संवादहीनता पसरी हुई है। हमारे घर पिछड़ेपन के कारखाने हैं। जन संवाद को परिवारों व समाज के लोकतांत्रिकरण की राह खोलनी चाहिए।

इसके बाद राममेहर ने मेवात में कार्य करने के अपने अनुभव सांझा करते हुए कहा कि मेवात के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से मेवात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान नही दिया जा रहा। प्राध्यापक वीरभान ने शिक्षा की मौजूदा दशा पर प्रकाशा डाला। सुनील मौर्य ने अपने स्कूली शिक्षा के अनुभव सांझा करते हुए कहा कि भेदभाव के खिलाफ शिक्षा को हथियार बनाने के लिए काम करना बेहद जरूरी है। जगतार सिंह ने कहा कि उन्हें कबीर को पढ़ कर प्रेरणा मिली है। कबीर ने हर धर्म-सम्प्रदाय के अंधविश्वसों और कुरीतियों पर चोट की है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाय संसार। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाय, तां चढ़ मुल्लां बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय आदि कबीर के दोहे पढ़कर उन्होंने बलि प्रथा पर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ने ही उन्हें चेतनशील बनाया है। यदि शिक्षा ना मिली होती तो ना जाने वे किस दिशा में आगे बढ़ रहे होते। फूल कौर ने अपने शिक्षा के अनुभव सांझा करते हुए कहा कि लड़कियों की शिक्षा के मार्ग में आज भी अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। किशोर कुमार ने कहा कि कार्यशाला ने वक्ता निर्माण ही नहीं व्यक्तित्व निर्माण की महत्त्वपूर्ण भूमिका का दायित्व निभाया है।

कार्यशाला के आखिरी सत्र में प्रतिभागियों ने भावी कार्य योजना तैयार की। संयोजक नरेश सैनी ने कहा कि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव शहीदी दिवस पर करनाल में कार्यशाला में तैयार हुए वक्ता करनाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अपने वक्तत्व रखेंगे। इसी प्रकार 26 मार्च को खंड घरौंडा में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला के समापन पर अरुण कैहरबा ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवाया। कार्यशाला में विक्रम वर्मा, सुलेख चंद, रिंकू कुमार, बिजेन्द्र कुमार, सतनाम सिंह, रजनीश कुमार, विनोद कुमार, अर्जुन सिंह, सोनू अली, गौरव, सतीश गुढ़ा, सुनील कुमार मौर्य, अक्षय चौरा, विकास, जसविन्द्र ने भी अपने विचार व्यक्त किए।